To,

The Registrar,
Hon'ble National Green Tribunal,
Copernicus Marg, New Delhi.
E-mail- judicial-ngt@gov.in

No. 2635 /O.S.D./2022-23 Date : 02 March, 2023

Subject :- Submission of Joint Committee report in compliance of directions issued by Hon'ble NGT vide order dated 02.01.2023 in O.A. No. 917/2022 Babulal Dubey Vs Hariom Chak & Ors.

Sir,

In Compliance Hon'ble NGT order dated 02.01.2023 in the matter of O.A. No. 917/2022 Babulal Dubey Vs Hariom Chak & Ors. the report of joint committee in being filled herewith.

It is requested that the aforesaid report of joint committee may be presented before the Hon'ble Tribunal for kind consideration.

Encl :As above

Yours faithfully,

District Magistrate,
Lalitpur (U.P.)

Office of the Sub Divisional Magistrate, Lalitpur

LETTER 1115/ S.T.L./CHECK(2022-23) DATED JANUARY 27, 2023

Subject:-Regarding the investigation of NGT case number-917/2022 date2.01.2023

District Magistrate,
Lalitpur

Sir,

This is Regarding, NGT Case No. 917/2022. Accordingly site was inspected by the joint team along with Mr. AK Mishra, Assistant Scientist, Pollution Control Board, Jhansi on 16.01.2023 and 19.01.2023, Whose investigation report is as follows: -

1. A letter was sent to Mr. Babulal Dubey to present his case (Photocopy of the letter attached Annexure-1) Mr. Babulal Dubey has informed through a letter that, 04 years ago 08 Fruit-bearing plants (mango, guava, amla, jamun, jackfruit and neem) were planted in front of his house at Nahar Road, Azadpura Lalitpur, Arazi No. 0-1933, of which he is a co-sharer. It is also informed by Mr. Babulal Dubey that in the year 2022, the employees of Raj Ghat Construction Division, Lalitpur, Mr. Raghuveer Sinchpal, Mr. Shailendra Sinch Supervisor, Mr. Surendra Kumar Junior Engineer and Mr. Hariom Chakra, Assistant Engineer, Started pressurizing to remove/destroy the restricted varieties of fruit bearing trees and without giving any statutory notice or marking the said land in the revenue records. On 08.12.2022 at around 04:00 pm, 08 trees and about 300 plants were destroyed by JCB machine without following the government rules. He has also informed that the said employees destroyed the restricted varieties of fruit bearing trees without removing other illegal construction over the Arazi No-1933. Mr. Babulal Dubey has attached the photo of Khatauni and his garden. (Letter of Mr. Babulal Dubey, Khatauni, photographs of the garden and photocopies of Babulal's statement attached as Annexure-2.1, 2.2, 2.3 and 2.4)

2. In the said case, the undersigned had sent a letter to Mr. Raghuveer Sinchpal, Mr. Shailendra Sinch Supervisor, Mr. Surendra Kumar, Junior Engineer and Mr. Hari Om Chakra, Assistant Engineer (Photocopy of the letter attached Annexure-3). Consequently, employees of the said Irrigation Department informed through their letter that Mr. Babulal Dubey had encroached upon the irrigation

ASO

department's land by keeping tree saplings and constructing a platform. Due to which the residents of the nearby locality and the common citizens were having difficulty/trouble and a complaint was made by them in the office of the Sub Divisional Magistrate, Lalitpur. Investigation was done by Lekhpal, in which illegal encroachment was found on the irrigation department's land by Mr. Babulal Dubey . Sub Divisional Magistrate Lalitpur, ordered Executive Engineer Rajghat Construction Division, Lalitpur and Executive Officer Municipal Council, Lalitpur to remove temporary illegal encroachment jointly following appropriate rules (Report of Sub Divisional Magistrate Lalitpur attached- Annexure-4). Accordingly, the Irrigation Department and Municipal Council, Lalitpur jointly removed the said temporary illegal encroachment on 08.12.2022. (Statement, view map, report of land acquired by Irrigation Department, site of encroachment and photocopy of straight line land plan of Irrigation Department attached annexure-5.1, 5.2, 5.3, 5.4 and 5.5). It is clear from looking at the land acquisition report of the Irrigation Department that Mr. Babulal Dubey had illegally encroached upon the land of the Irrigation Department.

3. The local people have informed through their written statement that Mr. Babulal Dubey had illegally encroached the irrigation department's land by placing saplings on the land/road. On that complaint, the said encroachment was removed by the Irrigation Department and the Municipal Department jointly. During the joint inspection, the residents of the locality/common people also told that the said encroachment was causing a lot of trouble for the movement of vehicles (statements of the residents of the locality, attached as Annexure-6).

4. Mr. Babulal Dubey also informed in his complaint that his garden was destroyed by the Irrigation Department without giving statutory notice. In this regard, the Irrigation Department informed that a notice was issued to Mr. Babulal Dubey on 02.12.2022, but the said notice was not received by Mr. Babulal, (informed by Mr. Raghuveer Singh). The employees of the Irrigation Department also told that Executive Engineer, Manmohan Singh and Hariom Chakra, Assistant Engineer had called Mr. Babulal to their office and ordered him to vacate the said encroached site. (Photocopy of notice attached Annexure-7).

ASO

It is clear from the above points that encroachment/temporary garden/nursery was established by Shri Babulal Dubey by illegally occupying the land of Irrigation Department without any permission. Consequently, investigation was done on the basis of complaint of the people of the locality, in which after the enquiry/investigation said site was found encroached, then the instructions were given to the Irrigation Department and the Municipal Council to remove the said illegal encroachment. As a result of which the illegal encroachment of Mr. Babulal Dubey was removed.

Therefore, as per the above, the inquiry report along with the enclosures is being sent for information and necessary action.

Enclosure:- As above.

Assistant scientist
Pollution Control Board
Jhansi

Sub divisional forest officer
Lalitpur

Sub Divisional Magistrate
Lalitpur

Ph/Fax : 0510-2320473 (O)
E-mail : rojhansi@uppcb.in

क्षेत्रीय कार्यालय उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
Regional Office, U.P. Pollution Control Board

संदर्भ सं0 729/OA-917/NGT/23 | दिनांक 02.02.2023
Ref. No. | Date

सेवा में,
सदस्य सचिव महोदय
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय : माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–917/2022 **Babul Bubey Vs Hariom Chak and Other** में पारित आदेश दिनांक 20.12.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–917/2022 **Babul Bubey Vs Hariom Chak and Other** में पारित आदेश दिनांक 20.12.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में संयुक्त कमेटी की आख्या अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय
(हस्ताक्षर) 2.2.23
(दीपा अरोरा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, ललितपुर।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, ललितपुर।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

कार्यालय उप जिलाधिकारी,ललितपुर

पत्रांक 1115/एस0डी0एल0/जॉच (2022–23) दिनॉक 27 जनवरी, 2022

विषयः– एन0जी0टी0 केस संख्या–917/2022 दिनांक 02.01.2023 की जांच के सम्बन्ध में।

जिलाधिकारी,
ललितपुर
....

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक एवं सन्दर्भित पत्र के माध्यम से उक्त एन0जी0टी0 केस संख्या–917/2022 दिनांक 02.01.2023 बाबूलाल दुबे बनाम हरीओमचक एवं अन्य की संयुक्त जांच हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में दिनांक 16.01.2023 एवं दिनांक 19.01.2023 को संयुक्त टीम द्वारा, श्री ए0के0मिश्रा, सहायक वैज्ञानिक प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड, झांसी के साथ उक्त स्थल का पुनः निरीक्षण किया गया। जिसकी जांच आख्या निम्नवत् है :–

1. उपरोक्त प्रकरण में श्री बाबूलाल दुबे को अपना पक्ष रखने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था। **(पत्र की छायाप्रति संलग्न संलग्नक–1)** उक्त के क्रम में श्री बाबूलाल दुबे द्वारा पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा नहर रोड़ आजादपुरा ललितपुर में अपने मकान के सामने आराजी सं0–1933 जिसके वे सहखातेदार है पर 04 वर्ष पूर्व 08 फलदार आम, अमरूद, आंवला, जामुन, कटहल एवं नीम के पौधों का रोपण किया था। श्री बाबूलाल दुबे द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि वर्ष 2022 के अक्टूबर में राजघाट निर्माण खण्ड़ ललितपुर के कर्मचारी श्री रघुवीर सींचपाल, श्री शैलेन्द्र सींच पर्यवक्षेक, श्री सुरेन्द्र कुमार अवर अभियन्ता एवं श्री हरीओम चक सहायक अभियता द्वारा उक्त भूमि को नहर विभाग की जमीन बताकर प्रतिबन्धित फलदार वृक्षों को नष्ट करने का दबाव बनाने लगे और बिना किसी वैधानिक नोटिस दिये एवं उक्त भूमि की बिना राजस्व अभिलेखों में चिन्हित कराये हरे भरे फलदार पेड़ो को काटने के सरकारी नियम को पूर्ण करे दिनांक 08.12.2022 को लगभग 04:00 बजे सायं आकर जे0सी0बी0 मशीन से उक्त 08 पेड़ो एवं लगभग 300 पौधों को नष्ट कर दिया गया। उन्होने यह भी अवगत कराया है कि उक्त कर्मचारियों ने आराजी सं0–1933 नहर के ऊपर बने अन्य अवैध निर्माण को हटाये बिना, मेरे प्रतिबन्धित फलदार पेड़ो को नष्ट कर दिया। श्री बाबूलाल दुबे ने खतौनी एवं अपने बगीचे की फोटो संलग्न की है। **(श्री बाबूलाल दुबे का पत्र, खतौनी, बगीचे के फोटोग्राफ्स एवं बाबूलाल का बयान की छायाप्रति संलग्न संलग्नक–2.1, 2.2, 2.3 एवं 2.4)**

2. उक्त प्रकरण में अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्री रघुवीर सींचपाल, श्री शैलेन्द सींच पर्यवक्षेक, श्री सुरेन्द्र कुमार अवर अभियन्ता एवं श्री हरीओम चक सहायक अभियता को पत्र प्रेषित कर अपने पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था। **(पत्र की छायाप्रति संलग्न संलग्नक–3)** जिसके क्रम में उक्त सिंचाई विभाग के कर्मचारियों ने अपने बयान के द्वारा अवगत कराया कि श्री बाबूलाल दुबे द्वारा पेड पौधो को रखकर एवं चबूतरा बनाकर नहर विभाग की जमीन को कब्जा कर रखा था। जिसे आस पास के मुहल्ले वासियों एवं आम नगरवासियों को निकलने में परेशानी हो रही थी एवं उनके द्वारा उप जिलाधिकारी ललितपुर के कार्यालय में शिकायत की गयी थी। जिसकी जॉच लेखपाल द्वारा की गयी जिसमें श्री बाबूलाल दुबे के द्वारा नहर की भूमि पर अवैध अतिक्रमण पाया गया एवं उप जिलाधिकारी ललितपुर ने अधिशासी अभियन्ता राजघाट निर्माण खण्ड, ललितपुर व अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, ललितपुर को संयुक्त रूप से नियमो के तहत कार्यवाही करते हुये अस्थाई अवैधानिक अतिक्रमण हटवाने के निर्देश दिये थे **(उप जिलाधिकारी ललितपुर की रिपोर्ट संलग्न संलग्नक–4)**। जिसके क्रम में सिंचाई विभाग एवं नगर पालिका परिषद, ललितपुर ने दिनांक 08.12.2022 को संयुक्त रूप से उक्त अस्थायी अवैधानिक अतिक्रमण को हटवा दिया गया। **(बयान, नजरी नक्शा, सिंचाई विभाग द्वारा जो भूमि अधिग्रहण की गयी उसकी रिपोर्ट, अतिक्रमण के स्थल एवं सिंचाई विभाग के** Straight Line Land Plan **की छायाप्रति संलग्न संलग्नक–5.1,**

5.2, 5.3, 5.4 एवं 5.5)। Straight Line Land Plan, सिंचाई विभाग की भूमि अधिग्रहण रिपोर्ट देखने से साफ होता है कि श्री बाबूलाल दुबे ने अवैधानिक रूप से सिंचाई विभाग की भूमि पर अतिक्रमण किया था।

3. स्थानीय लोगो ने अपने लिखित बयान के माध्यम से अवगत कराया है कि श्री बाबूलाल दुबे द्वारा सड़क पर पेड़ पौधें रखकर नहर की भूमि पर अवैध कब्जा किया था। जिसकी शिकायत करने पर सिंचाई विभाग एवं नगर पालिका विभाग द्वारा उक्त अतिक्रमण को हटवा दिया गया। संयुक्त निरीक्षण के दौरान मुहल्लेवासियों/आम नगरवासियों ने यह भी बताया कि उक्त अतिक्रमण से गाड़ियों के आने जाने में काफी परेशानी हो रही थी **(मुहल्लेवासियों के बयान संलग्न संलग्नक–6)**।

4. श्री बाबूलाल दुबे ने अपने शिकायत मे यह भी अवगत कराया कि बिना वैधानिक नोटिस दिये उनका बगीचा सिंचाई विभाग द्वारा नष्ट कर दिया गया। इस सम्बन्ध में सिंचाई विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 02.12.2022 को श्री बाबूलाल दुबे को नोटिस जारी किया था परन्तु उक्त नोटिस श्री बाबूलाल द्वारा लेने से मना कर दिया था, जिसकी सूचना श्री रघुवीर सिंह, सींचपाल द्वारा उक्त नोटिस की प्रति में दिनांक सहित अंकित की गयी है सिंचाई विभाग के कर्मचारियों ने यहां भी बताया कि 01 बार अधिशासी अभियन्ता मनमोहन सिंह एवं 02 बार हरीओम चक सहायक अभियन्ता ने अपने कक्ष में बुलाकर श्री बाबूलाल को उक्त अतिक्रमित स्थल को खाली करने आदेश दिये थे। **(नोटिस की छायाप्रति संलग्न संलग्नक–7)**।

उपरोक्त बिन्दुओं से यह स्पष्ट होता है कि श्री बाबूलाल दुबे द्वारा सिंचाई विभाग की भूमि पर बिना किसी अनुमति के अवैध रूप से कब्जा कर अतिक्रमण/अस्थाई बगीचा/नर्सरी स्थापित किया गया था। उक्त के सम्बन्ध में मुहल्ले वालो की शिकायत पर जांच की गयी, जिसमें उक्त स्थल अतिक्रमित पाये जाने के उपरान्त सिंचाई विभाग एवं नगर पालिका परिषद को उक्त अवैध अतिक्रमण हटवाने के निर्देश दिये गये थे। जिसके क्रम में सिंचाई विभाग द्वारा श्री बाबूलाल दुबे का अवैध अतिक्रमण हटवा दिया गया।

अतः उपरोक्तानुसार जांच आख्या मय संलग्नको सहित संलग्नकर आपकी सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

सहायक वैज्ञानिक अधि० प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड, झाँसी	उप प्रभागीय वनाधिकारी, ललितपुर	उप जिलाधिकारी, ललितपुर

ललितपुर

Ph/Fax : 0510-2320473 (O)
E-mail : rojhansi@uppcb.in

क्षेत्रीय कार्यालय उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
Regional Office, U.P. Pollution Control Board

संदर्भ सं0 .... दिनांक 17.01.2023
Ref. No. 689/OA-917/NGT/23 Date........20

S.D.M. Sadar
जाँच समिति के ज्ञाप जाँच सम्पादित कराये
D.M. 18/1/23

सेवा में,

जिलाधिकारी
जनपद–ललितपुर।

विषय : माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–917/2022 (बाबूलाल दुबे बनाम हरिओम चक व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 02.01.2023 की अनुपालनात्मक कार्यवाही के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–917/2022 (बाबूलाल दुबे बनाम हरिओम चक व अन्य) में दिनांक 02.01.2023 को आदेश पारित किये है जो निम्नवत् है–

> *"Shri Babulal Dubey s/o Shri Mohanlal Dubey, House No. 484, Nahar Road, Azadpura, Lalitpur who has complained that at Araji No. 1933 in Azadpura Nahar Road, Lalitpur, there is a vacant land on which certain number of trees of various categories were existing and the same have been illegal cut by the officials of Irrigation Department on 08.12.2022. He has given the names of the officials as Shri Hari Om Chak, Assistant Engineer, Shri Surendra Kumar, Junior Engineer, Shri Shailendra, Irrigation Supervisor and Mr. Raghuveer Singh, Sinchpal. They have caused damage of about 300 trees of mangoes etc."*

उक्त के सम्बन्ध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में आदेश दिनांक 02.01.2023 में जिलाधिकारी, प्रभागीय वनाधिकारी एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की समिति गठित करते हुये प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिर्पोट 02 माह के अन्दर प्रेषित करने हेतु आदेशित करते हुये जिलाधिकारी ललितपुर को नोडल एजेन्सी बनाया गया है। अतएव प्रकरण के सम्बन्ध में स्थलीय जांच एवं तथ्यात्मक रिर्पोट तैयार करने के दृष्टिगत प्रतिनिधि नामित करने का कष्ट करें, जिससे प्रकरण के सम्बन्ध में समय अवधि में कार्यवाही सुनिश्चित हो सकें।

(02 पृष्ठ में)

भवदीया

(signature) 17.1.23

(दीपा अरोरा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. प्रभागीय वनाधिकारी, जनपद–ललितपुर को सूचनार्थ।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

Ph/Fax : 0510-2320473 (O)
E-mail : rojhansi@uppcb.in

क्षेत्रीय कार्यालय उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
Regional Office, U.P. Pollution Control Board

संदर्भ सं० ....
Ref. No. 689/OA-917/NGT/23

दिनांक 17.01.2023
Date......................20

सेवा में,

जिलाधिकारी
जनपद–ललितपुर।

विषयः माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा विचाराधीन ओ०ए० संख्या–917/2022 (बाबूलाल दुबे बनाम हरिओम शक व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 02.01.2023 की अनुपालनात्मक कार्यवाही के सम्बन्ध में।

महोदय,

[illegible] विषयक का संज्ञान ग्रहण करने का कष्ट करें, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा [illegible] ओ०ए० संख्या–917/2022 (बाबूलाल दुबे बनाम हरिओम शक व अन्य) में दिनांक 02.01.2023 को आदेश [illegible] है जो निम्नवत है–

"[illegible] Babulal Dubey s/o Shri Mohanlal Dubey, House No. 484, Nahar Road, Azadpura, Lalitpur who has complained that at Araji No. 1933 in Azadpura Nahar Road, Lalitpur, there is a vacant land on which certain number of trees of various categories were existing and the same have been illegal cut by the officials of Irrigation Department on 08.12.2022. He has given the names of the officials as Shri Hari Om Chak, Assistant Engineer, Shri Surendra Kumar, Junior Engineer, Shri Shailend[illegible], Irrigation Supervisor and Mr. [illegible] Singh, Sinchpal. [illegible] have caused damage of about 300 trees of mangoes etc."

उक्त के सम्बन्ध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में आदेश दिनांक 02.01.2023 में जिलाधिकारी, प्रभागीय वनाधिकारी एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की समिति गठित करते हुये प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट 02 माह के अन्दर प्रेषित करने हेतु आदेशित करते हुये जिलाधिकारी ललितपुर को नोडल एजेन्सी बनाया गया है। अतएव प्रकरण के सम्बन्ध में स्थलीय जांच एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करने के दृष्टिगत प्रतिनिधि नामित करने का कष्ट करें, जिससे प्रकरण के सम्बन्ध में समय अवधि में कार्यवाही सुनिश्चित हो सके।

भवदीया

(दीपा अरोरा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि

1. प्रभागीय वनाधिकारी, [illegible] ललितपुर को सूचनार्थ।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त–[illegible]), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

SDM Sadar
[illegible]
18/1/23
जिलाधिकारी
ललितपुर

उ. प्र. आवास विकास कालोनी, (तालपुरा योजना) कानपुर रोड, झाँसी– 284001
U. P. Avas Vikas Colony (Talpura Yojana) Kanpur Road, Jhansi (U.P.) - 284001

संलग्नक -①

कार्यालय उप प्रभागीय वनाधिकारी, ललितपुर सा.वा.प्रभाग,ललितपुर

पत्रांक– 465 /26–1 ललितपुर दिनांक 12 जनवरी, 2023

सेवा में,

श्री बाबूलाल दुबे
केन्द्रीय अध्यक्ष, प्रगतिशील किसान जन मोर्चा
484 नहर रोड़ आजादपुरा, ललितपुर।

विषयः– एन0जी0टी0 केस संख्या–917/2022 दिनांक 02.01.2023 की जांच के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– प्रभागीय निदेशक, ललितपुर का पत्रांक–2723/29–1, दिनांक 11.01.2023।

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि आप उक्त प्रकरण में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के आदेश दिनांक 02.01.2023 के क्रम में आप स्वयं अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 17.01.2023 को सायं 05:00 बजे तक वांछित अभिलेखो/साक्ष्यो सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। यदि आप नियत तिथि व समय तक अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं करते तो यह मान लिया जायेगा कि आपको उक्त के सम्बन्ध में कुछ नही कहना है। तद्नुसार उक्त प्रकरण में जांच कर आख्या उच्च स्तर को प्रेषित कर दी जायेगी।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

12/1/23

(डॉ शिरीन)
उप प्रभागीय वनाधिकारी
ललितपुर

सेवा में,

श्रीमान उप प्रभागीय वनाधिकारी
सामाजिक वानिकी प्रभाग, ललितपुर।

विषय— **<u>एन0जी0टी9 की याचिका सं0 917/2022 दिनांक 02.01.2023 की जांच के सम्बन्ध में।</u>**

संदर्भ— आपका पत्रांक— 465/26—1 ललितपुर दिनांक 12.01.2023

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन करना है कि मै। एक किसान हूं एवं प्रगतिशील किसान जन मोर्चा का केन्द्रीय अध्यक्ष भी हूं। खेतों में अन्य उत्पाद के अतिरिक्त बचने वाले समय में राष्ट्रीय कार्यक्रमों, पर्यावरण संरक्षण एवं वृक्षारोपण के कार्यक्रमों में भी स्वयं अपना धन व्यय करते राष्ट्र के लिये योगदान देता हूं। जिसके लिये मैंने नहर रोड आजादपुरा ललितपुर में अपने मकान के सामने आराजी सं0 1921 जिसका मैं संक्रमणीय भूस्वामी हूं, में श्रीमान नियत प्राधिकारी/उपजिला मजिस्ट्रेट, विनियमित क्षेत्र ललितुपर के निर्देशानुसार एवं देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री के 9 अगस्त 2019 को अंग्रेजों भारत छोड़ो के 77वी वर्षगांठ पर बृहद वृक्षारोपण का आवाहन किये जाने पर आठ फलदार आम, अमरूद, आंवला, जामुन, कटहल एवं नीम के पौधों का रोपण किया गया था, जो चार साल पर समय से खाद एवं पानी दिये जाने के फलस्वरूप विकसित प्रतिबन्धित पेड़ों का रूप ले चुके हैं और फलदार पेड़ बन चुके थे।

प्राप्त
16-1-23

विश्व में आये मानवता के संकट कोविड—19 में आये ऑक्सीजन संकट को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के अधिक से अधिक पेड़ों के रोपड़ किये जाने के आवाहान पर मैंने एक हजार फलदार, छायादार एवं ऑक्सीजन युक्त पेड़ों के पौधे अपने स्वयं के खर्च पर तैयार कर निःशुल्क रूप से दान करने का संकल्प लिया, जो वर्ष 2019 से मेरी उक्त आराजी पर जाली लगाकर अनवरत जारी रहा।

वर्ष 2022 में अक्टूबर नवम्बर माह में राजघाट निर्माण खण्ड ललितपुर के कर्मचारी श्री रघुवीर सिंह सींचपाल, श्री शैलेन्द्र सींच पर्यवेक्षक, श्री सुरेन्द्र कुमार अवर अभियन्ता एवं श्री हरिओम चक सहायक अभियन्ता, जिनके द्वारा नहर की पटरियों की सरकारी लाखों रूपयों की भूमि पर अवैध धन लेकर कब्जा कराकरी अवैध निर्माण करा दिया गया है। मेरे मकान के सामने नहर विभाग की जमीन बताकर अवांछनीय तत्वों से सांठ—गांठ कर फर्जी शिकायत कराकर प्रतिबन्धित फलदार*पेड़ों को नष्ट करने का दबाव बनाने लगे थे। उनका आशय सम्भवतः अन्य अवैध वालों की तरह अवैध धन वसूली का था। जोकि द्वारा पूर्ण नहीं होने के कारण उन्होंने रुष्ठ होकर। बिना कोई वैधानिक नोटिस दिये बिना भूमि का स्वामित्व राजस्व अभिलेखों से चिन्हित किये

मेरी स्वामित्व की भूमि आराजी सं0 1933 में लगे प्रतिबन्धित हरे भरे फलदार पेड़ों को कटाने की सरकारी नियम प्रक्रियाओं को पूर्ण किये बिना ही आकस्मिक रूप से ही दिनांक 08.12.2022 को सांयकाल 4.00 बजे के लगभग आकर पॉकलीन मशीन से निर्दयतापूर्वक रोड़कर नष्ट कर दिये गये। राष्ट्रीय सम्पदा को सरकारी विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की इस अवधानिमक कृत्य पर मुझे बुहुत आघात लगा एवं इसकी शिकायत मेरे द्वारा जिलाप्रशासन एवं पुलिस प्रशासन को की गयी किन्तु दोषियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही न होने के फलस्वरूप मुझे बाध्य होकर मा0 न्यायालय की शरण में जाना पड़ा, ताकि मुझे माननीय न्यायालय से न्याय मिल सके। सुलभ संदर्भ हेतु संलग्नकों की छायाप्रतियां संलग्न हैं।

राजघाट निर्माण खण्ड ललितपुर में अतिक्रमण का आंकलन सरकारी राजस्व अधिग्रहण के अभिलेखों से न कर अवैध धन प्राप्ति से किया जाता है। जैसा कि आराजी सं0 1933 में नहर के ऊपर बने अवैध निर्माण को हटाया नहीं गया है एवं अधिग्रहण के राजस्व अभिलेखों में नहर की सीमा से बाहर स्थित प्रतिबन्धित फलदार पेड़ों को निर्दयतापूर्वक नष्ट कर दिया गया है।

कृपया अभिलेखानुसार स्थल की सही जांच कराकर प्रार्थी के साथ न्याय करने की कृपा करें।

संलग्न–अभिलेखों की छायाप्रतियां 20 पेज

दिनांक–16.01.2023

प्रार्थी

बाबू लाल दुबे
केन्द्रीय अध्यक्ष
प्रगतिशील किसान मंच मोर्चा उत्तर प्रदेश
ललितपुर (मो0-8932971793)

बाबूलाल दुबे
पुत्र श्री मोहनलाल दुबे
484, नहर रोड आजादपुरा, ललितपुर।
मो0– 8932971793

प्रतिलिपि–

1. श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, ललितपुर।
2. श्रीमान अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, ललितपुर।

बाबू लाल दुबे
केन्द्रीय अध्यक्ष
प्रगतिशील किसान मंच मोर्चा उत्तर प्रदेश
ललितपुर (मो0-8932971793)

बाबूलाल दुबे
पुत्र श्री मोहनलाल दुबे
484, नहर रोड आजादपुरा, ललितपुर।
मो0– 8932971793

E:\2022\August\Work (67)

न्यायालय श्रीमान राष्ट्रीय हरित अभिकरण, नई दिल्ली

अपील संख्या–   सन्

बाबूलाल दुबे तनय श्री मोहनलाल दुबे निवासी 484 नहर रोड आजादपुरा ललितपुर।

प्रार्थी / अपीलकर्ता

बनाम

1. श्री हरिओम चक, सहायक अभियन्ता, कार्यालय राजघाट निर्माण खण्ड ललितपुर।
2. श्री सुरेन्द्र कुमार, अवर अभियन्ता, कार्यालय राजघाट निर्माण खण्ड ललितपुर।
3. श्री शैलेन्द्र, सींच पर्यवेक्षक कार्यालय राजघाट निर्माण खण्ड ललितपुर।
4. श्री रघुवीर सिंह सींचपाल, कार्यालय राजघाट निर्माण खण्ड ललितपुर।

विपक्षीगण

वन संरक्षण अधिनियम एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम

थाना कोतवाली ललितपुर

श्रीमान् जी,

प्रार्थी सेवा में निम्नांकित कथन करता है :–

मै अपना मकान बनाकर आजादपुरा, नहर रोड पर रहता हूँ जिसमें नगर पालिका अन्दर हद में आराजी संख्या–1933 में सह खातेदार काबिज भूमिधर मालिक है,जिसमें मेरे अंश की भूमि मेरे मकान के सामने खाली थी। उक्त आराजी में आवास निर्माण हेतु भूमि का क्षेत्रफल न होने के कारण मैने उक्त भूमि में फलदार पौधे लगा दिये थे जोकि चार वर्ष में पड़ो का रुप ले चुके थे और उसमें आम, अमरुद में फल आने लगे थे एवं जामुन, आवला, कटहल एवं नीम में फल आने की स्थिति में थे। इस प्रकार लगभग आठ पेड़ वृक्ष बनकर तैयार थी, जो कि नहर के किनारे की आराजी में स्थित होने के कारण नहर के सींचपाल श्री रघुवीर सिंह एवं सींच पर्यवेक्षक श्री शैलेन्द्र एवं अवर अभियन्ता श्री सुरेन्द्र कुमार मौखिक रुप से नष्ट करने के लिये दबाब बना चुके थे। इसके लिये मेरे द्वारा उनसे अनुरोध किया गया था कि यदि उसमें से कुछ पेड़ आपकी सीमा में आते है तो उनको नहर के दोनों ओर चूना केलुकुलेशन शीट के अनुसार डाल दे ताकि मैं उन पेड़ों को अन्यत्र स्थापित करने की कार्यवाही कर संकू। किन्तु न तो उनके द्वारा नहर के दोनो साइड चूना ही केलुकुलेशन सीट के अनुसार डाला गया और न ही कोई किसी प्रकार का लिखित नोटिस प्रार्थी को दिया गया है सम्भवतः वह अवैध धनराशि के लिये दबाब बना रहे थे, जो मेरे साथ नही चल सका।

दिनांक 08.12.2022 को लगभग 4.00 बजे श्री हरिओम चक सहायक अभियन्ता श्री सुरेन्द्र कुमार अवर अभियन्ता एवं श्री शैलेन्द्र सीचपर्यवेक्षक एवं श्री रघुवीर सिंह

[illegible] एक पोकलैण्ड मशीन लेकर आये उनके साथ और भी भारी भीड़ थी, उनके द्वारा बिना किसी सूचना के मेरी आराजी में लगे आठ फलदार आम, जामुन, अमरुद, कटहल, आवला एवं नीम के पेड़ों को तहस नहस कर नष्ट कर दिया था तथा साथ ही लगभग तीन सौ आम, जामुन एवं कटहल एवं शरीफा के पौधे जिनको हमारे संगठन द्वारा 26 जनवरी गणतन्त्र दिवस–2013 में रोपित कर वृक्षारोपण कार्यक्रम को सम्पन्न कराया जाना था उनको भी तहस नहस कर नष्ट करा दिया गया है। जोकि प्रार्थी के मकान के सामने अभी भी पड़े हुये है, उनके द्वारा वन संरक्षण अधिनियम एवं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हरे–फलदार पेड़ों को काटने की प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया है जो कि किसी अवैध लाभ वशीभूत होकर किया गया है।

इस प्रकार सम्बन्धित प्रतिपक्षियों द्वारा मेरा लगभग चार से पांच लाख की वन सम्पदा का नुकशान तो किया ही है साथ ही पर्यावरण को भी अमूल्य क्षति पहुचाने का कृत्य किया है। जो कि संज्ञेय अपराध ककी श्रेणी में आता है।

अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि उक्त अनियमित कृत्य को करने वो अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कृत्यों की जांच कराकर उनके विरुद्ध वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही कराने की कृपा करें। ताकि पर्यावरण एवं वृहद वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रम में निस्वार्थ भाव से कार्य करने वाले एक किसान को न्याय मिल सकें।

आपकी अति कृपा होगी।

संलग्नः–खतौनी 01 नम्बर।

दिनांकः–16.12.2022

प्रार्थी

बाबूलाल दुबे
पुत्र श्री मोहनलाल दुबे
मं0नं0–484 नहर रोड आजादपुरा
ललितपुर।
मो0–8932971793

दुर्गाप्रसाद / परसादी / नि.आजादपुरा सरमन / परसादी / नि.आजादपुरा बृजनन्दन / चतरा / नि.आजादपुरा रगबर / उद्देत / नि.आजादपुरा नारायण / उद्देत / नि.आजादपुरा फूलचन्द / उद्देत / नि.आजादपुरा श्रीमती बसन्ती / स्व0उद्देत / नि.आजादपुरा श्रीमती बमालिया पत्नी / गंगा / नि.आजादपुरा केशरी / भरोसा / आजादपुरा ललितपुर बिन्द्रावन / भरोसा / आजादपुरा ललितपुर मोहन / भरोसा / आजादपुरा ललितपुर भुजवल / भरोसा / आजादपुरा ललितपुर नन्द्दु / भरोसा / आजादपुरा ललितपुर श्रीमती राजरानी पत्नी स्व0 / भरोसा / आजादपुरा ललितपुर मुकेश नाबा0 उम्र 15 वर्ष / बाबूलाल सं0-गोराबाई माँ / नि.आजादपुरा ललितपुर श्रीमती गोराबाई पत्नी स्व0 / बाबूलाल / नि.आजादपुरा ललितपुर बाबूलाल दुबे / मोहनलाल दुबे / नि.आजादपुरा ललितपुर					अन्दरहद ललितपुर के खाता सं०- 2069, 2070, 2071, 2072, 2677, 2678, 2669, 2671, 2672, 2673, 2871, 2872 पर से मृतक केशरी के स्थान पर संतोष, राजकुमार, मुकेश पुत्रगण केशरी व श्रीमती श्यामबाई पत्नी स्व० केशरी नि० आजादपुरा ललितपुर का नाम विरासतन दर्ज हो। ह०आर०के०-22.1.2020 1429क आदेश रा०नि० ललितपुर आवेदन संख्या- 20216 67008620015 19/ 20.09.2021 के अनुसार ग्राम ललितपुर अन्दरहद की खतौनी वर्ष 1427 से 1432 फसली के खाता संख्या- 489, 490, 2669, 2671, 2672, 2071, 2677, 2678, 2871, 2872, 2070 पर मृतक खातेदार भुजवल तनय भरोसा निवासी देहरे की टौरिया आजादपुरा ललितपुर के स्थान पर जगदीश, लाखन पुत्रगण भुजवल निवासी देहरे की टौरिया के पास 707 आजादपुरा ललितपुर के नाम वरासतन दर्ज हो। ह०आर०के०- 21.09.2021	
		1	0.0360	₹ 0.60	3	0

कुल गाटे- एक   कुल क्षेत्रफल- शून्य दशमलव शून्य तीन छ: शून्य (हेक्टेयर)   कुल भू-राजस्व - शून्य दशमलव छ: शून्य रुपये

Data Digitally Signed by: DASHARATH PRASAD

सक्षम अधिकारी: HARISHANKAR VERMA
तहसील: ललितपुर जनपद: ललितपुर
दिनांक एवं समय: 03-10-2022 TE:16:13
● यह उद्धरण खतौनी इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

उपरोक्त उद्धरण खतौनी का वेरीफिकेशन http://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर किया जा सकता है।

(मुहर: नायब तहसीलदार, ललितपुर)

सत्य प्रतिलिपि

सलग्नक - (१.२)

http: //upbhulekh.gov.in/bhulekh_login/app/tehsil/report_user/ROR_Te

उद्धरण खतौनी

उद्धरण क्रमांक : 217880202210133?

ग्राम क्रमांक : 217880 ग्राम का नाम/परगना : ललितपुर (अन्दर हद)(ललितपुर) तहसील : ललितपुर जनपद : ललितपुर
फसली वर्ष : 1427-1432 (01 जुलाई, 2019 से 30 जून, 2025) भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।							
02678	बद्रीप्रसाद शाण्डिल / रामप्रसाद / नि.आजादपुरा ललि. श्रीमती पुष्पाबाई / पुत्री ईश्वर भाई पटैल / नि.आजादपुरा ललि. हीरालाल / कनई / नि.आजादपुरा ललितपुर हरनारायण / कनई / नि.आजादपुरा ललितपुर दामोदर / कनई / नि.आजादपुरा ललितपुर किशना / लटोरा / नि.आजादपुरा ललि. दलू / भगोना / नि.आजादपुरा ललि. लालसिंह / भगोना / नि.आजादपुरा ललि. राजेन्द्रकुमार / मानसिंह / नि.आजादपुरा गुलाब / मानसिंह / नि.आजादपुरा गेंदालाल / मानसिंह / नि.आजादपुरा पुरूषोत्तमनारायण / मानसिंह / नि.आजादपुरा श्रीमती सुमित्रा दयाधिकारणी / मानसिंह / नि.आजादपुरा सुखदास / परसादी / नि.आजादपुरा भगवानदास / परसादी / नि.आजादपुरा	पू1369फ	1933/1मि	0.0360		1427फ आदेश न्याय० ना०तह० ललि० मु०नं०. T201906[illegible]0105260/ 25.11.19 के अनुसार आराजी स्थित ग्राम जुगपुरा की खतौनी वर्ष 1424-1429 फ0 के खाता सं0- 146 व ग्राम अन्दरहद ललितपुर की खतौनी वर्ष 1421 से 1426 फ0 के खाता संख्या- 2263, 2265, 2266, व ग्राम हदबाहर नगर पालिका ललितपुर की खतौनी वर्ष 1421 से 1426 फ0 के खाता सं0- 157, 159, 2246 व खाता संख्या- 158 की आराजी संख्या- 1106मि0/ 0.235, 1106मि0/ 0.186 हे0 को छोड़कर शेष खातों की आराजी पर अंकित मृतका श्रीमती कमलिया उर्फ कमला पत्नि स्व0 गंगा निवासी आजादपुरा ललितपुर का नाम [illegible] होकर जरिये रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 01 08.2009 के आधर पर श्रीमती कुसुमबाई पत्नी भुजब[illegible] पुत्री रामप्रसाद का 3/4 व श्रीमती लक्ष्मी पत्नी पुरू[illegible]त्तम पुत्री भुजबल का 1/4 भाग निवासी मु0 आजादपुरा ललितपुर का नाम दर्ज हो। ह०आर०के०- 30.11.19 पीठा- 15.1.2020 1427फ आदेश रा०नि० ललि० मु०नं०. 20209006[illegible]3010051/ 22.1.2020 के अनुसार मौजा	

तहसीलदार, ललितपुर (मुहर)

प्रपत्र 'छ'
(नियम 14 का उपनियम (2) देखिये)
भवन निर्माण अनुज्ञा–पत्र स्वीकृति के लिये प्रपत्र
(शमन की कार्यवाही के अन्तर्गत)

प्रेषक–

नियत प्राधिकारी,
विनियमित क्षेत्र, ललितपुर
जिला–ललितपुर(उ.प्र.)

सेवा में,

श्री बाबूलाल दुबे पुत्र श्री मोहन लाल दुबे
निवासी मु0– नहर रोड आजादपुरा ललितपुर
जिला– ललितपुर

महोदय,

कालौनी/मार्ग नहर रोड आजादपुरा वार्ड न0 19 ललितपुर में शमन संबंधी अनुज्ञा देने के लिये आपके नो0सं0 67/02–03 दिनांक 10.04.2003 के संदर्भ में मुझे आपको सूचित करना है, कि नियत प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित आधारों पर शमन कर दिया गया है:–

1– स्वामित्व के रूप में यह शमन मानचित्र किसी भी न्यायालय में मान्य नहीं होगा। स्वामित्व सिद्ध न होने अथवा किसी अन्य का स्वामित्व होने पर यह समनित मानचित्र स्वतः निरस्त हो जायेगा। स्वामित्व संबंधी कोई विवाद होने पर माननीय न्यायालय का आदेश आवेदक पर बाध्यकारी होगा।

2– शमन मानचित्र के अतिरिक्त कोई भी निर्माण करने पर यह शमन स्वीकृति स्वतः निरस्त हो जावेगी और प्रारम्भ किये जा चुके निर्माण पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

3– निरीक्षण के दौरान कर्मचारी अधिकारी के अवलोकनार्थ शमन मानचित्र निर्माण स्थल पर उपलब्ध करना अनिवार्य है।

4– शमन मानचित्र के विरूद्ध सरकारी/अर्धसरकारी/ग्राम समाज/नगरपालिका/नजूल या किसी भी भूमि पर अथवा किसी अन्य की भूमि पर अतिक्रमण, दरवाजा खिडकी, शौचालय, छज्जा, बालकनी, आदि निकालने की अनुमति नहीं दी जाती है।

5– शमन मानचित्र में प्रदर्शित खुले भाग से नियमानुसार वृक्षारोपण अनिवार्य है।

कार्यालय की मुहर........ 03
कार्यालय सूचना संख्या........ 1264
10-07-2020

PRESCRIBED AUTHORITY ... LALITPUR

नियत प्राधिकारी के हस्ताक्षर
10/1/2020

D/WEB/POH

अवर अभि०/अधि० अधि०/(अवर निर्माण विभाग) आख्या-

आवेदक श्री बाबूलाल पुत्र श्री मोहनलाल [illegible] निवासी मुहल्ला आजादपुरा ललितपुर ने [illegible] [illegible] मुहल्ला आजादपुरा ललितपुर [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] प्रमाण पत्र की मांग की है। [illegible] [illegible] मुहल्ला आजादपुरा ललितपुर का निरीक्षण किया [illegible] [illegible] सन् 1945 ई० से निर्मित [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 27.07 [illegible] [illegible] प्रमाण पत्र जारी [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] प्रेषित है।

ह०

अवर अभियन्ता
नगर पालिका परिषद
ललितपुर

ह०

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
ललितपुर

जी के आह्वान पर
वाटिका का मनोरम

[illegible] कार्यक्रम के लिए [illegible] दशहरा
आम का पेड जोकि दो वर्ष मे ही फल देने लगा जिसके रोपण हेतु किसा[illegible]
को जागृत करते हुए एवं वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करते हुए प्रगति शी[illegible]
किसान मोर्चा के अध्यक्ष बाबूलाल दुबे

पर्यावरण दिवस पर विशेष

यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी के अंग्रेजो भारत छोडो आन्दोलन की 77 वी वर्ष गांठ पर नौ अगस्त 2019 को पर्यावरण संरक्षण एवम वृक्षारोपण के महाकुंभ के आहवान पर पूजनीय स्वर्गीय माता जी सुमित्रा देवी दुबे की स्मृति में स्थापित पंचवटी वाटिका एवम मिनी नर्सरी की स्थापना की गयी थी जोकि अब साकार रूप ले चुकी है जिसमें तीन प्रजाति के पेड फल देने लगे हैं शेष आवंला कटहल एवम जामुन अगले साल तक फल देने लगेगे मिनी नर्सरी के रूप में प्रति वर्ष 365 पेड प्रति वर्ष स्थापित कराने का संकल्प लिया गया है जोकि वर्ष 2020 और 2021 में स्वयं तैयार कर किसानों एवम महानुभावो को निशुल्क प्रदान कर लगवाये जा चुके हैं इस वर्ष लगभग दो सौ पेड बांटकर लगवाये जा चुके हैं शेष लगभग 150 पेड आम जामुन नीबू सीताफल नर्सरी से निशूल्क बांटकर लगवाये जायेगे

पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्पित बाबूलाल दुबे केन्द्रीय अध्यक्ष प्रगति शील किसान जन मोर्चा

संलग्नक - दो

[illegible] राष्ट्रीय कार्यक्रम हेतु 200 फलदार पेडो के पौधे [illegible] करने का प्रस्ताव जिलाधिकारी कार्यालय में पारित किया

पर्यावरण संरक्षण एवम वृक्षारोपण के राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए समर्पित प्रगति शील किसान जन मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष बाबूलाल दुबे जिनके व्दारा अपनी पूज्यनीय स्वर्गीय माता सुमित्रा देवी दुबे की स्मृति में स्थापित पंचवटी वाटिका से पूज्य राष्ट्र पिता महात्मा गांधी की जयंती पर 200 दशहरी आम के पौधे रोपण हेतु दान किये

प्रशासन को दान किए 200 आम के पौधे

ललितपुर। प्रगतिशील किसान जन मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष बाबूलाल दुबे [illegible] पर 200 दशहरी आम रोपित करने के लिए [illegible] को दान दिए। यह पौधे उनकी स्वयं की पंचवटी वाटिका से दिए गए। पौधरोपण के लिए दशहरी आम के पौधे देने का प्रस्ताव कुछ दिनों पूर्व कलक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक के दौरान बाबूलाल ने जिलाधिकारी आलोक सिंह के समक्ष रखा था। जिसे डीएम ने स्वीकार कर लिया और इन दशहरी आम के पौधों को लगाने के लिए शिक्षा विभाग को [illegible] दिया था। संवाद

गाँधी जयन्ती पर आज रोपे जायेंगे 200 पौधे

ललितपुर : प्रगतिशील किसान जन मोर्चा के केन्द्रीय अध्यक्ष बाबूलाल दुबे ने बताया कि उनकी माँ सुमित्रा देवी की स्मृति मे उनके आवास के सामने अपनी पेंशन की धनराशि से पंचवटी वाटिका की स्थापना की गयी थी। इस वाटिका से बेसिक शिक्षा विभाग को 150 व होमगार्ड विभाग को 50

विभाग को 2 अक्टूबर 2022 को

100 पौधे दान करते हुए प्रगति शील

संलग्नक-चार

सेवा मे

1. श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय
   जनपद ललितपुर।
2. श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय
   जनपद ललितपुर।

विषय–राजघाट निर्माण खण्ड ललितपुर के सहायक अभियन्ता श्री हरिओम चक, एवं अवर अभियन्ता श्री सुरेन्द्र कुमार एवं सींच पर्यवेक्षक श्री शैलेन्द्र एवं सींचपाल रघुवीर सिंह द्वारा द्वेषभाव सहित, भेदभाव सहित फलदार प्रतिबन्धित पेड़ों को नियमों के विपरीत नष्ट किये जाने की जांच कराकर वन संरक्षण अधिनियमों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

निवेदन करना है कि मै अपना मकान बनाकर आजादपुरा, नहर रोड पर रहता हूँ जिसमें नगर पालिका अन्दर हद में आराजी संख्या–1933 में सह खातेदार काबिज भूमिधर मालिक है,जिसके अंश की भूमि मेरे मकान के सामने खाली थी। आवास निर्माण हेतु भूमि का क्षेत्रफल न होने के कारण मैने उक्त भूमि में फलदार पौधे लगा दिये थे जोकि चार वर्ष में पड़ो का रुप ले चुके थे और उसमें आम, अमरुद में फल आने लगे थे एवं जामुन, आवला, कटहल एवं नीम में फल आने की स्थिति में थे। इस प्रकार लगभग आठ पेड़ वृक्ष बनकर तैयार थी, जो कि नहर के किनारे की आराजी में स्थित होने के कारण नहर के सींचपाल श्री रघुवीर सिंह एवं सींच पर्यवेक्षक श्री शैलेन्द्र एवं अवर अभियन्ता श्री सुरेन्द्र कुमार मौखिक रुप से नष्ट करने के लिये दबाब बना चुके थे। इसके लिये मेरे द्वारा उनसे अनुरोध किया गया था कि यदि उसमें से कुछ पेड़ आपकी सीमा में आते है तो उनको नहर के दोनों ओर चूना केलुकुलेशन शीट के अनुसार डाल दे ताकि मैं उन पेड़ों को अन्यत्र स्थापित करने की कार्यवाही कर सकू। किन्तु न तो उनके द्वारा नहर के दोनो साइड चूना ही केलुकुलेशन सीट के अनुसार डाला गया और न ही कोई किसी प्रकार का लिखित नोटिस प्रार्थी को दिया गया है सम्भवतः वह अवैध धनराशि के लिये दबाब बना रहे थे, जो मेरे साथ नही चल सका।

दिनांक 08.12.2022 को लगभग 4.00 बजे श्री हरिओम चक सहायक अभियन्ता श्री सुरेन्द्र कुमार अवर अभियन्ता एवं श्री शैलेन्द्र सीचपर्यवेक्षक एवं श्री रघुवीर सिंह सींचपाल एक पोकलैण्ड मशीन लेकर आये उनके साथ और भी भारी भीड़ थी, उनके द्वारा बिना किसी सूचना के मेरी आराजी में लगे आठ फलदार आम, जामुन, अमरुद, कटहल, आवला एवं नीम के पेड़ों को तहस नहस कर नष्ट कर दिया था तथा साथ ही लगभग तीन सौ आम, जामुन एवं कटहल एवं शरीफा के पौधे जिनको हमारे संगठन

क्रमशः....2 पर

द्वारा 26 जनवरी गणतन्त्र दिवस–2013 में रोपित कर वृक्षारोपण कार्यक्रम को सम्पन्न कराया जाना था उनको भी तहस नहस कर नष्ट करा दिया गया है। जोकि प्रार्थी के मकान के सामने अभी भी पड़े हुये है, उनके द्वारा वन संरक्षण अधिनियम एवं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हरे–फलदार पेड़ों को काटने की प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया है जो कि किसी अवैध लाभ वशीभूत होकर किया गया है।

अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि उक्त अनियमित कृत्य को करने वो अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कृत्यों की जांच कराकर उनके विरुद्ध वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही कराने की कृपा करें। ताकि पर्यावरण एवं वृहद वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रम में निस्वार्थ भाव से कार्य करने वाले एक किसान को न्याय मिल सकें।

आपकी अति कृपा होगी।

संलग्नः–खतौनी 01 नम्बर।

दिनांकः–09.12.2022

प्रार्थी

बाबूलाल दुबे
पुत्र श्री मोहनलाल दुबे
मं0नं0–484 नहर रोड आजादपुरा
ललितपुर।
मो0–8932971793

प्रतिलिपिः–

1. श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल ललितपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. श्रीमान् अधिशासी अभियन्ता, राजघाट निर्माण खण्ड ललितपुर को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. श्रीमान् अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद ललितपुर।

प्रार्थी

बाबूलाल दुबे
पुत्र श्री मोहनलाल दुबे
मं0नं0–484 नहर रोड आजादपुरा
ललितपुर।
मो0–8932971793

REDMI NOTE 6 PRO
MI DUAL CAMERA

REDMI NOTE 6 PRO
MI DUAL CAMERA

REDMI NOTE 6 PRO
MI DUAL CAMERA

REDMI NOTE 6 PRO
MI DUAL CAMERA

REDMI NOTE 6 PRO
MI DUAL CAMERA

REDMI NOTE 6 PRO
MI DUAL CAMERA

सेवा में,

श्रीमान उप प्रभागीय वनाधिकारी
सामाजिक वानिकी प्रभाग, ललितपुर।

विषय– एन0जी0टी9 की याचिका सं0 917/2022 दिनांक 02.01.2023 की जांच के सम्बन्ध में।

सदर्भ– आपका पत्रांक– 465/26–1 ललितपुर दिनांक 12.01.2023

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन करना है कि मैं। एक किसान हूं एवं प्रगतिशील किसान जन मोर्चा का केन्द्रीय अध्यक्ष भी हूं। खेतों में अन्य उत्पाद के अतिरिक्त बचने वाले समय में राष्ट्रीय कार्यक्रमों, पर्यावरण संरक्षण एवं वृक्षारोपण के कार्यक्रमों में भी स्वयं अपना धन व्यय करते राष्ट्र के लिये योगदान देता हूं। जिसके लिये मैंने नहर रोड आजादपुरा ललितपुर में अपने मकान के सामने आराजी सं0 1933, जिसका मैं सहखातेदार भूस्वामी हूं, मैं श्रीमान नियत प्राधिकारी/उपजिला मजिस्ट्रेट, विनियमित क्षेत्र ललितपुर के निर्देशानुसार एवं देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री के 9 अगस्त 2019 को अंग्रेजों भारत छोड़ो के 77वी वर्षगांठ पर बृहद वृक्षारोपण का आवाहन किये जाने पर आठ फलदार आम, अमरूद, आंवला, जामुन, कटहल एवं नीम के पौधों का रोपण किया गया था, जो चार साल पर समय से खाद एवं पानी दिये जाने के फलस्वरूप विकसित प्रतिबन्धित पेड़ों का रूप ले चुके हैं और फलदार पेड़ बन चुके थे।

जमा
16-1-23

विश्व में आये मानवता के संकट कोविड–19 में आये ऑक्सीजन संकट को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के अधिक से अधिक पेड़ों के रोपड़ किये जाने के आवाहान पर मैंने एक हजार फलदार, छायादार एवं ऑक्सीजन युक्त पेडों के पौधे अपने स्वयं के खर्च पर तैयार कर निःशुल्क रूप से दान करने का संकल्प लिया, जो वर्ष 2019 से मेरी उक्त आराजी पर जाली लगाकर अनवरत जारी रहा।

वर्ष 2022 में अक्टूबर नवम्बर माह में राजघाट निर्माण खण्ड ललितपुर के कर्मचारी श्री रघुवीर सिंह सींचपाल, श्री शैलेन्द्र सींच पर्यवेक्षक, श्री सुरेन्द्र कुमार अवर अभियन्ता एवं श्री हरिओम चक सहायक अभियन्ता, जिनके द्वारा नहर की पटरियों की सरकारी लाखों रूपयों की भूमि पर अवैध धन लेकर कब्जा कराकरी अवैध निर्माण करा दिया गया है। मेरे मकान के सामने नहर विभाग की जमीन बताकर अवांछनीय तत्वों से साठ–गांठ कर फर्जी शिकायत कराकर प्रतिबन्धित फलदार पेड़ों को नष्ट करने का दबाव बनाने लगे थे। उनका आशय सम्भवतः अन्य अवैध वालों की तरह अवैध धन वसूली का था। जोकि द्वारा पूर्ण नहीं होने के कारण उन्होंने रूष्ट होकर। बिना कोई वैधानिक नोटिस दिये बिना भूमि का स्वामित्व राजस्व अभिलेखों से चिन्हित किये

—2—

(2)

मेरी स्वामित्व की भूमि आराजी सं0 1933 में लगे प्रतिबन्धित हरे भरे फलदार पेड़ों को कटाने की सरकारी नियम प्रक्रियाओं को पूर्ण किये बिना ही आकस्मिक रूप से ही दिनांक 08.12.2022 को सांयकाल 4.00 बजे के लगभग आकर पॉकलीन मशीन से निर्दयतापूर्वक रोड़कर नष्ट कर दिये गये। राष्ट्रीय सम्पदा को सरकारी विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की इस अवधानिमक कृत्य पर मुझे बुहुत आघात लगा एवं इसकी शिकायत मेरे द्वारा जिलाप्रशासन एवं पुलिस प्रशासन को की गयी किन्तु दोषियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही न होने के फलस्वरूप मुझे बाध्य होकर मा0 न्यायालय की शरण में जाना पड़ा, ताकि मुझे माननीय न्यायालय से न्याय मिल सके। सुलभ संदर्भ हेतु संलग्नकों की छायाप्रतियां संलग्न हैं।

राजघाट निर्माण खण्ड ललितपुर में अतिक्रमण का आंकलन सरकारी राजस्व अधिग्रहण के अभिलेखों से न कर अवैध धन प्राप्ति से किया जाता है। जैसा कि आराजी सं0 1933 में नहर के ऊपर बने अवैध निर्माण को हटाया नहीं गया है एवं अधिग्रहण के राजस्व अभिलेखों में नहर की सीमा से बाहर स्थित प्रतिबन्धित फलदार पेड़ों को निर्दयतापूर्वक नष्ट कर दिया गया है।

कृपया अभिलेखानुसार स्थल की सही जांच कराकर प्रार्थी के साथ न्याय करने की कृपा करें।

संलग्न–अभिलेखों की छायाप्रतियां 20 पेज

दिनांक–16.01.2023

प्रार्थी

बाबू लाल दुबे
केन्द्रीय अध्यक्ष
(मो0-8932971793)

बाबूलाल दुबे
पुत्र श्री मोहनलाल दुबे
484, नहर रोड आजादपुरा, ललितपुर।
मो0– 8932971793

प्रतिलिपि–

1. श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, ललितपुर।
2. श्रीमान अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, ललितपुर।

बाबूलाल दुबे
पुत्र श्री मोहनलाल दुबे
484, नहर रोड आजादपुरा, ललितपुर।
मो0– 8932971793

बाबू लाल दुबे

E:\2022\August\Work (67)

सेवा में,

श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय

जनपद ललितपुर।

विषय–राजघाट निर्माण खण्ड ललितपुर के सीचपाल, जिलेदार एवं अवर अभियन्ता द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के विपरीत प्रतिबन्धित फलदार पेड़ों को नष्ट करने के लिये बनाये जा रहे मौखिक दबाव की जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि मेरा मकान आजादपुरा ललितपुर में गोविन्द सागर बांध की बांयी नहर के पास है, जिसका निर्माण मेरे द्वारा वर्ष 2001 से लेकर 2008 तक कराया गया था, जिसके निर्माण के लिये मेरे द्वारा विधिवत अनापत्ति सम्बन्धित विभागों से श्रीमान् अपर जिलाधिकारी महोदय (नजूल) एवं श्रीमान अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, ललितपुर एवं श्रीमान् नियत प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र ललितपुर से कम्पाउन्ड रुप से स्वीकृत कराया गया था। जिसमें मकान के सामने चबूतरा एवं खाली पड़ी भूमि पर वृक्षारोपण अनिवार्य रुप से किया जाने के लिये निर्देशित किया गया था।

हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 09 अगस्त 2019 को अंग्रेजो भारत छोडो आन्दोलन की 77 वीं वर्षगांठ पर पर्यावरण संरक्षण के लिये वृहद वृक्षारोपण के महाकुम्भ का आवाहन किये जाने पर मेरे द्वारा आराजी संख्या–1933 की खाली पड़ी भूमि पर जिसका कि मैं सहखातेदार काबिज कृषक हूँ पर पांच प्रजाति के साथ फलदार वृक्षों के पौधों का रोपण किया गया था, जिनकी आवारा जानवरों एवं हैवी वाहनों से सुरक्षा के लिये खण्डा रखकर जाली लगायी गयी थी। लगातार चार वर्ष तक पेड़ों की सुरक्षा एवंसमय से खाद पानी देने से उक्त पौधे अब पूर्ण रूप से पेड़ों का रुप ले चुके है और उनमें फल भी आने लगे है। आम के पेड़ में विगत दो वर्ष से फल आ रहे है तथा अमरुद के पेड़ों में अभी फल लगे हुये है। उन पूर्ण रूप से संरक्षित एवं विकसित फलदार पेड़ों को नष्ट करने के लिये कुछ समय से 2–3 दिन के अन्तराल में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, राजघाट निर्माण के सीचपाल, जिलेदार एवं अवर अभियन्ता काटने एवं नष्ट करने के लिये मौखिक रुप से लगातार दबाव बना रहे हैं और कभी कभी वह मौखिक रुप से अनावश्यक विवाद भी करते है, न तो उनके द्वारा कोई भी किसी प्रकार का कोई लिखित रुप से नोटिस दिया गया है और न ही मुझे मेरा पक्ष रखने का कोई समय दिया गया है और न ही मेरी आराज़ियों के साथ–साथ आस–पास लगी आराजियों को अधिग्रहण की कैलकुलेशन शीट के अनुसार चिन्हित कर के नहर के दोनो ओर चूना डाला जा रहा है, जो कि सरकारी नियमों के अनुसार होना चाहिये।

LKW/2022/AO/0932 [3.50]

देश की माननीय सासंद द्वारा पारित एवं महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण एवं वन संरक्षण अधिनियम में प्रतिबन्धित फलदार पेड़ों को बिना वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण किये काटना अपराध घोषित किया गया है और उसमें कड़ी सजा का प्राविधान किया गया है। अधिनियम में हरे प्रतिबन्धित पेड़ों को काटने के लिये जो व्यवस्था दी गयी है और वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो व्यवस्था दी गयी है उसमें पेड काटने वाले नियोक्ता को काटने वाले पेड़ों के दस गुना फलदार पेड़ों के पौधों का रोपण कराना होगा और पेड़ों को काटने का प्रस्ताव औचित्य सहित जिले के वनाधिकारी को प्रेषित कर उनकी स्वीकृति के बाद ही पेड़ों को काटा जाना सम्भव होगा।

इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की खण्ड पीठ लखनऊ द्वारा अभी कुछ दिन पूर्व ही एक जनहित याचिका में निर्णय दिया गया है कि सरकारी योजना को पूर्ण करने के लिये भी हरे पेड़ों को काटने के पहले फलदार पौधों का रोपण कराया जाये और फिर फलदार हरे पेड़ों को काटने के लिये विधिवत प्रस्ताव जिले के डी०एफ०ओ० को भेज कर उनकी स्वीकृति के उपरन्त ही हरे पेड़ों को काटा जाये या नष्ट किया जाये (सुलभ संदर्भ हेतु समाचार पत्र की छायाप्रति संलग्न हैं)।

अतः आपसे निवेदन है कि मेरे ऊपर वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये मेरे मकान के सामने व आस–पास की आराजियों की अधिग्रहण की बनायी जाने वाली कैलकूलेशन शीट के अनुसार ही नहर के दोनो और चिहिन्त कर एवं चूना डालकर सत्यापन करा दिया जाये और प्रार्थी की आराजी संख्या–1933 में स्थित भूमि को चिहिन्त करा दिया जाये ताकि प्रार्थी को माननीय न्यायालय राष्ट्रीय हरित अभिकरण की शरण में जाने के लिये बाध्य न होना पड़ें।

सादर।

संलग्न–

1. समाचार पत्र की छायाप्रति एक नम्बर।
2. खतौनी की छायाप्रति एक नम्बर–

दिनांक–28.11.2022

प्रार्थी

(बाबूलाल दुबे)
पुत्र श्री मोहनलाल दुबे
म०न० 484 नहर रोड आजादपुरा ललितपुर।
मो0–8932971793

...तक में दर्ज नामांतरण आदेश...
दर्ज खातेदारों के नाम वहां से हटाकर मूल खातेदार का नाम दर्शाने वाले कालम-2 में दर्ज किए जाते हैं। नया साफ्टवेयर विकसित होने पर जमीन का बैनामा या वरासत दर्ज होने पर खतौनी में नामांतरण आदेश फीड होते ही नये खातेदार का नाम तत्काल कालम-2 में आ जाएगा। इससे खतौनी को छह साल में अपडेट करने की जरूरत नहीं होगी।

...जा ...टवेयर ... में लगभग ...है। प्रत्येक वर्ष ...08 लाख गांवों का ...में खतौनी पुनरीक्षण ...संहिता के प्रविधानों के ...तौनी में दर्ज खातेदारों/सह

जाए। अगर कोई भी गड़बड़ स्कूल परीक्षा केंद्र बनाया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। तय मानकों के अनुसार ही परीक्षा केंद्र बनाए जाए। उन्होंने समूह ग के खाली पदों को भरने के लिए जल्द उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को ब्योरा उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए।

...ष्ठ लिपिक की बर्खास्तगी की हाइकोर्ट ने किया जवाब तलब

...रने के आरोप में ...ी की गई है। उसे ...दी गई है। वरिष्ठ ...ा तर्क था कि याची ...री निदेशक है, उसे ...श जारी करने का ...धिकार प्रधानाचार्य ...आदेश लिपिक रूप

रहमतुल्ला ने अदालत में कहा- 'मैं जिन्दा हूं'

बिजनौर : रहमतुल्ला नाम का 65 वर्षीय एक शख्स सीजेएम की अदालत में पहुंचा। न्यायाधीश को प्रार्थना पत्र सौंपकर बताया कि मैं जिंदा हूं और मेरे सात बच्चे हैं। रहमतुल्ला पर आरोप है कि उसने किसी अन्य रहमतुल्ला के नाम की संपत्ति का दानपत्र लिख दिया है। इस पर उसके खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप लगाकर कोर्ट में अर्जी दी गई है। इस व्यक्ति ने कोर्ट में दावा किया कि वही असली रहमतुल्ला है। कुछ लोगों ने उसे मृत दर्शाकर उसकी संपत्ति अपने नाम करा ली। अब उसे फर्जी रहमतुल्ला बताकर उसके खिलाफ मुकदमा दायर किया है। न्यायालय ने थाना पुलिस से रिपोर्ट मांगी है।

एक पेड़ काटने की जरूरत हो तो 2 लगाएं तभी काटें

लखनऊ : इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने जल शक्ति मिशन के तहत बोरवेल और ओवरहेड टैंक के निर्माण के लिए पेड़ काटे जाने की जरूरत पर आदेश दिया है कि जहां एक पेड़ काटा जाना हो, वहां अधिकारी दो पेड़ लगाएं और उसकी वृद्धि भी सुनिश्चित करें। कोई भी पेड़ वन विभाग की अनुमति के बाद ही काटा जाए।

...स्थानान्तरित ...को आकांक्षी ...शिक्षक

...कोर्ट ने प्रदेश के ...आकांक्षी । जिलों ...ालयों में सेवारत ...ड़ी राहत दी है। ...ीश श्रीवास्तव की ...कि इन जिलों में ...कों को भी विशेष ...स्तौर से मेडिकल ...में अंतरजनपदीय ...दार है। यह आदेश कोर्ट ने मंजू पाल व दर्जनों अन्य अध्यापकों की ओर से दाखिल याचिकाओं पर अधिवक्ता नवीन कुमार शर्मा को सुनकर दिया है। अदालत के इस फैसले से आकांक्षी जिलों में कार्यरत अध्यापकों के अंतरजनपदीय स्थानांतरण का रास्ता साफ हो गया है।

...यमावली नहीं आ रही रास, नौकरी छोड़ रहे डॉक्टर

- पुरानी के मुकाबले नई सेवा नियमावली में प्रोन्नति कठिन
- डॉक्टरों को इससे होगा नुकसान, बदलाव करने की मांग

...चिकित्सा सेवा ...। डाक्टरों की ...प्रोन्नति में रोड़ा ...क्टरों को सीधे ...ी के नियम के ...लेवल से दूसरे

करना अनिवार्य होगा। उदाहरण के लिए, कोई डाक्टर वर्ष 2000 में भर्ती होता है तो चार साल बाद उसे लेवल दो पर वरिष्ठ चिकित्साधिकारी के पद पर प्रोन्नति मिलती है। वहीं लेवल दो पर सात वर्ष की सेवा पूरी करने पर

रेलया... परिवर्तन...

रेल प्रशासन ने ... कानपुर-सेंट्रल ...कार्य के कारण गाड़ि... करने का निर्णय लिया...

1	12103
2	12104
3	11407
4	11408
5	09465
6	09466
1	01823
2	01824
3	11109
4	11110
1	11123
2	11124
3	12143
4	1500...

सेवा में,

श्रीमान अधिशासी अभियन्ता
राजघाट निर्माण खण्ड, ललितपुर

विषयः- वन संरक्षण अधिनियम के विपरीत प्रतिबन्धित फलदार पेड़ों को नष्ट करने के लिये राजस्व कर्मचारियों द्वारा मौखिक रूप से अवैध दबाव बनाये जाने एवं अनियमित रूप से फलदार पेड़ों को नष्ट करने के लिये प्रेरित करने के संबंध में,

महोदय

अवगत कराना है कि मेरा मकान आजादपुरा ललितपुर में गोविन्द सागर की छोटी नहर के किनारे है। जिसका निर्माण मेरे द्वारा वर्ष-2001 से लेकर वर्ष 2009 तक कराया गया था। जिसके लिये मेरे द्वारा लिखित अनापत्ति सम्बन्धित विभागों जैसे जिलाधिकारी नजूल(राजस्व विभाग) एवं अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद, ललितपुर -मैं एवं अधिशासी अभियन्ता, राजघाट निर्माण खण्ड ललितपुर से प्राप्त कर मानचित्र की मान्यता प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र से कम्पाउण्ड रूप से स्वीकृत कराया गया था। जिसमें मकान के सामने चबूतरा एवं खाली पड़ी भूमि पर पेड़ लगाये जाने के निर्देशित किया गया था।

हमारे यशस्वी माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा 9 अगस्त 2019 को अंग्रेजो भारत छोड़ो की 77 वर्षगांठ पर वृक्षारोपण के महाकुम्भ का आवाहन किये जाने पर मेरे द्वारा खाली भूमि पर सात फलदार पौधों का रोपण किया किया गया था जिनकी आवारा जानवरों एवं छोटे वाहनों की सुरक्षा हेतु खम्भा लगाकर जाली लगायी गयी थी। लगातार चार वर्ष से अधिक समय से पेड़ों की सुरक्षा एवं खाद पानी देने से उक्त पौधे अब पूर्ण रूप से पेड़ों का रूप ले चुके हैं और उनमें फल भी आने लगे हैं। और वर्तमान में अमरूद के पेड़ों में फल लगे भी हुये हैं। जिनको कुछ समय से दो तीन दिन के अन्तराल में आपके विभाग के सींचपाल एवं जिलेदार काटने एवं नष्ट करने के लिये मौखिक रूप से लगातार दबाव बना रहे हैं और कभी कभी यह अनावश्यक रूप से विवाद भी करते हैं। न तो उनके द्वारा कोई लिखित रूप से विभाग की ओर से नोटिस दिया गया है और न ही मेरी सम्बन्धित आराजी के साथ ही आस पास की आराजियों के नहर विभाग की भूमि को पैमा डालकर चिन्हांकित चिन्हित किया गया है। जो कि सरकारी नियमों के अनुसार होना चाहिये।

भारत की माननीय संसद द्वारा पारित वन संरक्षण अधिनियम में प्रतिबन्धित फलदार पेड़ों को काटना संज्ञेय अपराध घोषित किया गया है। और उनमें

-------2/-

(2)

सजा के साथ साथ जुर्माना लगाये जाने की भी व्यवस्था है। अधिनियम में हरे फलदार पेडो को काटने की जो व्यवस्था दी गयी है उसके अनुसार नियोक्ता को पेडो के पांच गुना फलदार पौधे के रोपण की व्यवस्था कर उनके फोटो ग्राफ सहित हरे फलदार फलदार पेडो के काटने का प्रस्ताव औचित्य सहित जिले के वनाधिकारी को प्रेषित कर उनसे स्वीकृति के बाद ही पेडो को काटा जा सकता है।

इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की खण्ड पीठ लखनऊ द्वारा अभी कुछ दिन पूर्व ही एक जनहित याचिका में निर्णय दिया गया है कि हरे फलदार पेड काटने के लिये पहले पेडों का रोपण एवं सम्बन्धित क्षेत्र के डी०एफ०ओ० से विधिवत स्वीकृति के बाद ही काटा जाये, तत्सम्बन्ध संदर्भ हेतु समाचार पत्र की छाया प्रति संलग्न है। जिसको संज्ञान में लेते हुये और वन संरक्षण अधिनियम का पालन करते हुये ही हरे फलदार पेडो को नष्ट किया जाये। एवं मेरे मकान के सामने नहर विभाग की भूमि को आस पास के आराजियों के कलकुलेशन शीट के अनुसार दोनो ओर से और चिन्हित कर पुनः नाप दिया जाये ताकि मेरे द्वारा यदि कोई अतिक्रमण या निर्माण किया गया है तो उसको मैं तुरन्त हटा सकूं।

सादर,

दिनांक- 25-11-2022

प्रार्थी

(बाबूलाल दुबे) पुत्र
श्री मोहनलाल दुबे, म0न0
494 नहर रोड आजादपुरा ललितपुर
मो0-8932971793

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता
राजघाट निर्माण खण्ड
ललितपुर
26/11/2022

प्रतिलिपि श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, ललितपुर को सूचनार्थ एवं अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

2- प्रतिलिपि श्रीमान सहायक अभियन्ता (प्रथम) राजघाट निर्माण खण्ड ललितपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

Received
26/11/2022

प्रार्थी

(बाबूलाल दुबे) पुत्र
श्री मोहनलाल दुबे म0न0
494 नहर रोड आजादपुरा ललितपुर
मो0-8932971793

...
...ट्वेयर
... में लगभग
... है। प्रत्येक वर्ष
...08 लाख गांवों का
... में खतौनी पुनरीक्षण
... संहिता के प्रविधानों के
...ौनी में दर्ज खातेदारों/सह

... तक में दर्ज नामांतरण आदेश ... दर्ज खातेदारों के नाम वहां से हटाकर मूल खातेदार का नाम दर्शाने वाले कालम-2 में दर्ज किए जाते हैं। नया साफ्टवेयर विकसित होने पर जमीन का बैनामा या वसीयत दर्ज होने पर खतौनी में नामांतरण आदेश फीड होते ही नए खातेदार का नाम तत्काल कालम-2 में आ जाएगा। इससे खतौनी को छह साल में अपडेट करने की जरूरत नहीं होगी।

जाए। अगर कोई भी गड़बड़ स्कूल परीक्षा केंद्र बनाया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। तय मानकों के अनुसार ही परीक्षा केंद्र बनाए जाएं। उन्होंने समूह ग के खाली पदों को भरने के लिए जल्द उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को ब्योरा उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए।

...ष्ठ लिपिक की बर्खास्तगी की हाइकोर्ट ने किया जवाब तलब

...रने के आरोप में ...ी की गई है, इसे ...दी गई है। वरिष्ठ ...ा गया था कि याची ... [illegible] ...श जारी करने का ...विचार प्रधानाचार्य ... [illegible]

रहमतुल्ला ने अदालत में कहा- 'मैं जिन्दा हूँ'

बिजनौर : रहमतुल्ला नाम का 65 वर्षीय एक शख्स सीजेएम की अदालत में पहुंचा। न्यायाधीश को प्रार्थना पत्र सौंपकर बताया कि मैं जिंदा हूं और मेरे सात बच्चे हैं। रहमतुल्ला पर आरोप है कि उसने किसी अन्य रहमतुल्ला के नाम की संपत्ति का दानपत्र लिख दिया है। इस पर उसके खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप लगाकर कोर्ट में अर्जी दी गई है। इस व्यक्ति ने कोर्ट में दावा किया कि वही असली रहमतुल्ला है। कुछ लोगों ने उसे मृत दर्शाकर उसकी संपत्ति अपने नाम करा ली। अब उसे फर्जी रहमतुल्ला बताकर उसके खिलाफ मुकदमा दायर किया है। न्यायालय ने थाना पुलिस से रिपोर्ट मांगी है।

एक पेड़ काटने की जरूरत हो तो 2 लगाएं तभी काटें

लखनऊ : इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने जल शक्ति मिशन के तहत बोरवेल और ओवरहेड टैंक के निर्माण के लिए पेड़ काटे जाने की जरूरत पर आदेश दिया है कि जहां एक पेड़ काटा जाना हो, वहां अधिकारी दो पेड़ लगाएं और उसकी वृद्धि भी सुनिश्चित करें। कोई भी पेड़ वन विभाग की अनुमति के बाद ही काटा जाए।

...स्थानान्तरित ...गे आकांक्षी ...शिक्षक

...कोर्ट ने प्रदेश के ...आकांक्षी) जिलों ...ालयों में सेवारत ...ड़ी राहत दी है। ...श्रीवास्तव की ...कि इन जिलों में ...की को भी विशेष ...सतीर से मेडिकल ...में अंतरजनपदीय ...ार है। यह आदेश

कोर्ट ने मंजू पाल व दर्जनों अन्य अध्यापकों की ओर से दाखिल याचिकाओं पर अधिवक्ता नवीन कुमार शर्मा को सुनकर दिया है। अदालत के इस फैसले से आकांक्षी जिलों में कार्यरत अध्यापकों के अंतरजनपदीय स्थानांतरण का रास्ता साफ हो गया है।

...्रमावली नहीं आ रही रास, नौकरी छोड़ रहे डॉक्टर

- पुरानी के मुकाबले नई सेवा नियमावली में प्रोन्नति कठिन
- डॉक्टरों को इससे होगा नुकसान, बदलाव करने की मांग

...चिकित्सा सेवा ...। डाक्टरों की ...प्रोन्नति में रोड़ा ...डाक्टरों को सीधे ...ने के नियम के ...लेवल से दूसरे

करना अनिवार्य होगा। उदाहरण के लिए, कोई डाक्टर वर्ष 2000 में भर्ती होता है तो चार साल बाद उसे लेवल दू पर वरिष्ठ चिकित्साधिकारी के पद पर प्रोन्नति मिलती है। वहीं लेवल दू पर सात वर्ष की सेवा पूरी करने पर

रेलगा... परिवर्त...

रेल प्रशासन द्वा... कानपुर सेन्ट्रल यार्ड मे... कार्य के कारण गाड़िय... करने का निर्णय लिया...

क्र. सं.	गाड़ी सं.
1	12103
2	12104
3	11407
4	11408
5	09465
6	09466

क्र. सं.	गाड़ी सं.
1	01823
2	01824
3	11109
4	11110

क्र. सं.	गाड़ी
1	11123
2	11124
3	12143
4	1500[illegible]

संलग्नक - (2.4)

आज दिनांक 19/1/2022 को ब्यान करता हूँ कि श्री बाबूलाल दुबे
पुत्र श्री मोहन लाल दुबे निवासी, नहर रोड आजादपुरा ललितपुर का
निवासी हूँ मैं एक प्रगतिशील किसान एवं प्रगतिशील किसान
मोर्चा का केन्द्रीय अध्यक्ष भी हूँ मैं पर्यावरण संरक्षण के लिए भी काम
करता हूँ देश के प्रधानमंत्री के आह्वान पर 9/8/2019 को मेरे द्वारा
08 फलदार पेड़ो के पौधे रोपित किये गये थे जोकि मेरे स्वामित्व
आराजी 1933 में लगे हुए थे जो वर्ष 2023 में विकसित हो गये थे
एवं फल देने लगे थे जो प्रतिबन्धित श्रेणी के थे जिसमें आम के (2)
आंवला (1) कटहल (1) अमरूद (2) नीम एवं जामुन (2) इसके
साथ ही मेरे द्वारा प्रतिवर्ष 1000 पौधे जो तैयार कर निःशुल्क
किसानो एवं सरकारी विभागो को दान किये जाते थे उनमें से मात्र
300 पौधे आम एवं जामुन, प्लान्ट बैग में रखे गये थे जोकि 2023
के किसानो एवं सरकारी विभागो को दान किये जाने थे। दिनांक 8/
को श्री हरिओम चक, सहायक अभियन्ता एवं सुरेन्द्र कुमार अवर अभि
शैलेन्द्र सिंह सींच पर्यवेक्षक एवं श्री रघुवीर सिंह सींच पाल आदि, रा
निर्माण खण्ड ललितपुर, पोकलैन्ड (जे०सी०बी०) मशीन लेकर आये और उ
पेड़ एवं पौधे का बिना भूमि का सीमांकन किये नष्ट कर दिये मैंने
रोकने का प्रयास किया किन्तु उन लोगो ने सारे पौधे एवं पेड़ नष्ट कर दिये

आवेदक
दिनांक 13-01-2023

बाबू लाल दुबे
के[illegible] अध्यक्ष
प्रगतिशील [illegible] मोर्चा
ललितपुर [illegible]1793

श्रीमानजी,

मुहल्ला आजादपुरा मे सिंचाई विभाग की बायीं मुख्य नहर ललितपुर पर बाबूलाल तनय मोहनलाल दुबे निवासी आजाद-पुरा ने खोखे रख कर एवं चबूतरा बनाकर अतिक्रमण कर रखा था। जिसकी शिकायत हम सभी मुहल्ले वासियों द्वारा उच्च अधिकारियों से की गयी थी। जांच उपरान्त अतिक्रमण सिंचाई विभाग की भूमि पर पाया गया था। उच्च अधिकारियों के आदेश पर अधि. सिंचाई विभाग एवं नगर पालिका की संयुक्त टीम द्वारा उक्त अतिक्रमण को हटवा दिया गया है।

सत्यनारायण शुक्ला
9839480496

विपिन कुमार
8400007688

श्रीकृष्ण पटैरिया
7905020313

आलोक चतुर्वेदी
9873390350

अखिलेश गोस्वामी
7355665658

भूरखेद

विनोद कुमार
9198835883

जगत निरंजन
918474347

आशीष मिश्रा
8858744426

अखिलेश सांडिल्य

अरविन्द राजपूत
70905864684

कार्यालय सहायक अभियन्ता–प्रथम
राजघाट निर्माण खण्ड, ललितपुर

पत्रांक – सी–5 / स0अ0प्र0 / राज0 / ल0 / 356 दिनांक– 22/12/22

विषय – कार्यालय उपजिलाधिकारी ललितपुर के पत्रांक–1050 / एस0टी0एल0–जॉच (2022–23) दिनांक 21.11.2022 सम्बन्ध में आख्या।

सन्दर्भ – आपका पत्रांक–जॉच / रा0नि0ख0 / ल0 / 1486, दिनांक 01.12.2022

<u>अधिशासी अभियन्ता, राजघाट निर्माण खण्ड, ललितपुर।</u>

कृपया उपरोक्त विषय एवं सन्दर्भित पत्र के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आजादपुरा वार्ड नम्बर 16 में श्री बाबूलाल दुबे पुत्र श्री मोहनलाल दुबे, निवासी–ललितपुर द्वारा सिंचाई विभाग की नहर की भूमि एवं नगर पालिका की भूमि पर चबूतरा एवं बगीचा बनाकर जो अतिक्रमण किया गया था। उक्त के किये गये अतिक्रमण को दिनांक 08.12.2022 को सिंचाई विभाग एवं नगर पालिका परिषद द्वारा संयुक्त रूप से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गयी, जिसमें सिंचाई विभाग की बांयी ललितपुर नहर की सीमा के अन्तर्गत चबूतरा एवं बगीचा बनाकर अतिक्रमण किया गया था, उसको पूर्ण रूप से सिंचाई विभाग द्वारा हटवा दिया गया है।

आख्या सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

29/12/22

सहायक अभियन्ता–प्रथम
राजघाट निर्माण खण्ड, ललितपुर

115 Draft

कार्यालय उप प्रभागीय वनाधिकारी, ललितपुर सा.वा.प्रभाग,ललितपुर

पत्रांक— 466 /26—1 ललितपुर दिनांक 12 जनवरी, 2023

सेवा में,

1— श्री हरिओम चक, सहायक अभियन्ता
2— श्री सुरेन्द्र कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता
3— श्री शैलेन्द्र कुमार, सिचांई पर्यवेक्षक
4— श्री रघुवीर सिंह, सींचपाल
सिंचाई विभाग,ललितपुर।

विषयः— एन0जी0टी0 केस संख्या—917/2022 दिनांक 02.01.2023 की जांच के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:— प्रभागीय निदेशक, ललितपुर का पत्रांक—2723/29—1, दिनांक 11.01.2023।

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि आप उक्त प्रकरण में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता अथवा पत्र के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 18.01.2023 को सायं 05:00 बजे तक अपना पक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

विषयगत प्रकरण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के आदेश दिनांक 02.01.2023 से आच्छादित है, प्रकरण की त्वरित जाच किया जाना है, यदि आप नियत तिथि व समय तक अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं करते तो यह मान लिया जायेगा कि आपको उक्त के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है। तदनुसार उक्त प्रकरण में जांच कर आख्या उच्च स्तर को प्रेषित कर दी जायेगी।

संलग्नकः—उपरोक्तानुसार।

(डॉ शिरीन)
उप प्रभागीय वनाधिकारी
ललितपुर

D:\VIKKY_2013\Steno\Letter_SDO Laitpur-Mahrauni

संलग्नक – (5)

कार्यालय उप जिलाधिकारी ललितपुर

संख्या 1050/एस0टी0एल0–जांच (2022–23) दिनाँक: 21 नवम्बर, 2022

जिलाधिकारी,
ललितपुर।

महोदय,

कृपया श्री अलिखेश गोस्वामी आदि शिकायतकर्ताओं द्वारा आपको सम्बोधित प्रार्थना पत्र की जॉच हेतु दिनांक 27.10.2022 को क्षेत्रीय लेखपाल के साथ अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्थलीय निरीक्षण एवं जॉच की गयी मौके पर श्री आलोक चतुर्वेदी, श्री कृष्ण पटैरिया व अन्य मुहल्ले के लोग एवं विपक्षी श्री बाबूलाल दुवे पुत्र श्री मोहनलाल दुवे निवासी आजादपुरा ललितपुर उपस्थित रहे। जॉच आख्या निम्नवत है :–

स्थित मुहल्ला आजादपुरा वार्ड नम्बर 16 ललितपुर नहर रोड के किनारे संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार विपक्षी श्री बाबूलाल दुवे का मकान, चबूतरा एवं बगीचा बना पाया गया। विपक्षी श्री बाबूलाल से प्रकरण के सम्बन्ध में पूछताँछ की गयी, तो उनके द्वारा अवगत कराया गया कि चबूतरे का अधिकांश भाग एवं बगीचा सिंचाई विभाग की नहर की भूमि की सीमा में स्थित है चूँकि विपक्षी सिंचाई विभाग का रिटायर्ड कर्मचारी है एवं सिंचाई विभाग की अनुमति से चबूतरा एवं बगीचा बनाया गया है। विपक्षी द्वारा रजिस्ट्रर्ड वैनामा 1574/1991 की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी। जिसके द्वारा मानसिंह, दलू, व लालसिंह पुत्रगण श्री भगौने द्वारा विपक्षी श्री बाबूलाल पुत्र मोहनलाल दुवे को आराजी नम्बर 1945 मि0 रकवा 27.87 वर्ग मीटर (9.14×3.05 वर्ग मीटर) भूमि विक्रय की गयी थी। उक्त के अतिरिक्त रजिस्टर्ड बैनामा 3613 दिनांक 221295 के द्वारा महेन्द्र कुमार तनय श्री गुरूचरन पाराशर द्वारा विपक्षी श्री बाबूलाल दुवे पुत्र मोहनलाल दुवे को एक किता प्लॉट 10.50×5.50 वर्ग मीटर कुल 57.75 वर्ग मीटर विक्रय किया गया था। उक्त वैनामो के क्रम में विपक्षी द्वारा संलग्न नजरी नक्शा के अनुसार मकान निर्माण कराया गया है। विपक्षी का कहना है कि उसके द्वारा दो रजिट्री और करायी गयी है। किन्तु विपक्षी द्वारा कोई प्रति उपलब्ध नही करायी गयी।

प्रकरण के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मौके पर स्थलीय जॉच में पाया गया कि विपक्षी का बगीचा/नर्सरी सिंचाई विभाग की पटरी (33 फीट) की सीमा में है एवं चबूतरा लगभग 04 फीट सिंचाई विभाग की सीमा में है। चबूतरे के पश्चिम में नगर पालिका के सी0सी0 रोड/नाली बनी है एवं चबूतरे के पूर्व में नहर की पटरी डामर सडक बनी है, इस प्रकार (लगभग 5–6 फीट चौंडा व 8–9 फीट लम्बा) चबूतरा सार्वजनिक रास्ते में एवं सार्वजनिक जल निकासी में अवरोध उत्पन्न कर रहा है।

आशुलिपिक

स॰ अभि॰ अभि॰

Ex Eng

कार्यालय अधिशासी अभि
डायरी सं॰ 2538
दिनांक 25/11/22
डाक लिपिक

उपरोक्तानुसार शिकायतकर्ताओं द्वारा की गयी शिकायत सत्य पायी गयी। अतः सार्वजनिक हित में प्रश्नगत चबूतरा एवं बगीचा हटाया जाना उचित एवं आवश्यक है।.तदनुसार नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु आख्या महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।
संलग्नकः– यथोपरि।

उप जिलाधिकारी,सदर
ललितपुर

प्रतिलिपि :- अधिशासी अभियन्ता राजघाट निर्माण खण्ड, ललितपुर व अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, ललितपुर को इस आशय से प्रेषित कि संयुक्त रूप से नियमों के आलेख में आवश्यक कार्यवाही करते हुये अस्थाई अवैधानिक अतिक्रमण हटवाना सुनिश्चित करें।

उप जिलाधिकारी,सदर
ललितपुर

पत्रांक-> जांच/राजनिख(ल)/1486 दि0 01/12/022

प्रति० सहा० अभि०-प्रथम, रा०नि०ख०, ललितपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि पत्र में दिये गये निर्देशों का अनुपालन कर अपनी अनुपालन आख्या 03 दि के अन्दर इस कार्यालय में प्रेषित करें।

...12...
अधिशासी अभियन्ता
राजघाट निर्माण खण्ड
ललितपुर

पत्रांक- सी-ज/स.अभि./राघ 352 दिनांक- 01/12/22

प्रतिलिपि, जिलेदार-प्रथम, राजघाट निर्माण खण्ड, ललितपुर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त प्रकरण की विस्तृत जाँच कर आख्या 02 दिवस में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

सहायक अभियन्ता-प्रथम
राजघाट निर्माण खण्ड,ललितपुर

संलग्नक (5.1)

<u>ब्यान</u>

व सवाल कार्यालय उपप्रभागीय वनाधिकारी, ललितपुर सा0वा0प्रभाग, ललितपुर
पत्रांक–466/26–1, ललितपुर दिनांक 12 जनवरी, 2023 के क्रम में ब्यान किया जाता है कि बे
मुख्य नहर ललितपुर बॉयी पटरी आराजी संख्या–1933 मौका लगभग 1.190 कि0मी0 पर
बाबूलाल दुबे तनय श्री मोहनलाल दुबे, निवासी आजादपुरा के द्वारा पेड़–पौधों की पौध रखकर
चबूतरा बनाकर अतिक्रमण कर रखा था, जिसकी शिकायत मुहल्ले वासियों द्वारा उपजिलाधिक
महोदय, ललितपुर से की गयी थी, जिसकी जॉच तहसील ललितपुर राजस्व लेखपाल द्वारा की ग
जिसमें पाया गया कि उक्त अतिक्रमण सिंचाई विभाग की भूमि पर किया गया था। जिस
मुहल्लेवासियों एवं आम नागरिकों को नहर के सर्विस रोड से निकलने में परेशानी हो रही थी
उक्त अतिक्रमण को हटाने के लिए अधिशांसी अभियन्ता, राजघाट निर्माण खण्ड, ललितपुर
अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका ललितपुर को संयुक्त रूप से अस्थाई अवैधानिक अतिक्रमण हटा
के लिए आदेशित किया गया था । जिस आधार पर उक्त अतिक्रमण दिनांक 06.12.2022 को संयुक
टीम द्वारा हटवा दिया गया था ।

उक्त शिकायतकर्ता द्वारा लगभग 300 आम के वृक्षों को क्षति पहुंचाने की जो बात क
गयी है वह असत्य एवं निराधार है। ब्यान आख्या में प्रेषित है।

(हरिओम चक)
सहायक अभियन्ता–प्रथम
राजघाट निर्माण खण्ड, ललितपुर

138 Draft

संलग्नक - (5.1)

ब्यान

व सवाल कार्यालय उपप्रभागीय वनाधिकारी, ललितपुर सा0वा0प्रभाग, ललितपुर पत्रांक–466/26–1, ललितपुर दिनांक 12 जनवरी, 2023 के क्रम में ब्यान किया जाता है कि मुख्य नहर ललितपुर बॉयी पटरी आराजी संख्या–1933 मौका लगभग 1.190 कि0मी0 पर बाबूलाल दुबे तनय श्री मोहनलाल दुबे, निवासी आजादपुरा के द्वारा पेड–पौधों की पौध रखकर चबूतरा बनाकर अतिक्रमण कर रखा था, जिसकी शिकायत मुहल्ले वासियों द्वारा उपजिलाधि महोदय, ललितपुर से की गयी थी, जिसकी जॉच तहसील ललितपुर राजस्व लेखपाल द्वारा की जिसमें पाया गया कि उक्त अतिक्रमण सिंचाई विभाग की भूमि पर किया गया था। जि मुहल्लेवासियों एवं आम नागरिकों को नहर के सर्विस रोड से निकलने में परेशानी हो रही थी । उ अतिक्रमण को हटाने के लिए अधिशासी अभियन्ता, राजघाट निर्माण खण्ड, ललितपुर व अधि अधिकारी, नगर पालिका ललितपुर को संयुक्त रूप से अस्थाई अवैधानिक अतिक्रमण हटाने के आदेशित किया गया था । जिस आधार पर उक्त अतिक्रमण दिनांक 08.12.2022 को संयु टीम द्वारा हटवा दिया गया था ।

उक्त शिकायतकर्ता द्वारा लगभग 300 आम के वृक्षों को क्षति पहुंचाने की जो बात क गयी है वह असत्य एवं निराधार है। ब्यान आख्या में प्रेषित है।

18/01/2023
(शैलेन्द्र प्रताप सिंह)
सींच पयवेक्षक/कार्यवाहक जिलेदार
राजघाट निर्माण खण्ड, ललितपुर

127 Draft

संलग्नक -(5.1)

ब्यान

व सवाल कार्यालय उपप्रभागीय वनाधिकारी, ललितपुर सा0वा0प्रभाग, ललितपुर के पत्रांक–466/26–1, ललितपुर दिनांक 12 जनवरी, 2023 के कम में ब्यान किया जाता है कि बॉयी मुख्य नहर ललितपुर वॉयी पटरी आराजी संख्या–1933 मौका लगभग 1.190 कि0मी0 पर श्री बाबूलाल दुबे तनय श्री मोहनलाल दुबे, निवासी आजादपुरा के द्वारा पेड़–पौधों की पौध रखकर एवं चबूतरा बनाकर अतिकमण कर रखा था, जिसकी शिकायत मुहल्ले वासियों द्वारा उपजिलाधिकारी महोदय, ललितपुर से की गयी थी, जिसकी जॉच तहसील ललितपुर राजस्व लेखपाल द्वारा की गयी जिसमें पाया गया कि उक्त अतिकमण सिंचाई विभाग की भूमि पर किया गया था। जिससे मुहल्लेवासियों एवं आम नागरिकों को नहर के सर्विस रोड से निकलने में परेशानी हो रही थी । उक्त अतिकमण को हटाने के लिए अधिशासी अभियन्ता, राजघाट निर्माण खण्ड, ललितपुर व अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका ललितपुर को संयुक्त रूप से अस्थाई अवैधानिक अतिकमण हटाने के लिए आदेशित किया गया था । जिस आधार पर उक्त अतिकमण दिनांक 08.12.2022 को संयुक्त टीम द्वारा हटवा दिया गया था ।

उक्त शिकायतकर्ता द्वारा लगभग 300 आम के वृक्षों को क्षति पहुंचाने की जो बात की गयी है वह असत्य एवं निराधार है। ब्यान आख्या में प्रेषित है।

दिनॉक-18/01/2023

(सुरेन्द्र कुमार अहिरवार)
जूनियर इंजीनियर
राजघाट निर्माण खण्ड, ललितपुर

129 Draft

संलग्नक - (5.1)

ब्यान

व सवाल कार्यालय उपप्रभागीय वनाधिकारी, ललितपुर सा0वा0प्रभाग, ललितपुर के पत्रांक–466/26–1, ललितपुर दिनांक 12 जनवरी, 2023 के कम में ब्यान किया जाता है कि बॉयी मुख्य नहर ललितपुर बॉयी पटरी आराजी संख्या–1933 मौका लगभग 1.190 कि0मी0 पर श्री बाबूलाल दुबे तनय श्री मोहनलाल दुबे, निवासी आजादपुरा के द्वारा पेड–पौधों की पौध रखकर एवं चबूतरा बनाकर अतिकमण कर रखा था, जिसकी शिकायत मुहल्ले वासियों द्वारा उपजिलाधिकारी महोदय, ललितपुर से की गयी थी, जिसकी जॉच तहसील ललितपुर राजस्व लेखपाल द्वारा की गयी जिसमें पाया गया कि उक्त अतिकमण सिंचाई विभाग की भूमि पर किया गया था। जिससे मुहल्लेवासियों एवं आम नागरिकों को नहर के सर्विस रोड से निकलने में परेशानी हो रही थी । उक्त अतिकमण को हटाने के लिए अधिशासी अभियन्ता, राजघाट निर्माण खण्ड, ललितपुर व अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका ललितपुर को संयुक्त रूप से अस्थाई अवैधानिक अतिकमण हटाने के लिए आदेशित किया गया था । जिस आधार पर उक्त अतिकमण दिनांक 08.12.2022 को संयुक्त टीम द्वारा हटवा दिया गया था ।

उक्त शिकायतकर्ता द्वारा लगभग 300 आम के वृक्षों को क्षति पहुंचाने की जो बात की गयी है वह असत्य एवं निराधार है। ब्यान आख्या में प्रेषित है।

[signature] 18/01/2022

(रघुवीर सिंह)
सींचपाल
राजघाट निर्माण खण्ड, ललितपुर

संलग्न-15 (5.2)

कार्यालय सहायक अभियन्ता—प्रथम
राजघाट निर्माण खण्ड, ललितपुर

दिनांक— 22/12/22

पत्रांक — सी—5 / स0अ0प्र0 / राज0 / ल0 / 356

विषय — कार्यालय उपजिलाधिकारी ललितपुर के पत्रांक—1050 / एस0डी0एल0—जॉच (2022—23) दिनांक 21.11.2022 सम्बन्ध में आख्या।

सन्दर्भ — आपका पत्रांक—जॉच / रा0नि0ख0 / ल0 / 1486, दिनांक 01.12.2022

अधिशासी अभियन्ता, राजघाट निर्माण खण्ड, ललितपुर।

कृपया उपरोक्त विषय एवं सन्दर्भित पत्र के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आजादपुरा वार्ड नम्बर 16 में श्री बाबूलाल दुबे पुत्र श्री मोहनलाल दुबे, निवासी—ललितपुर द्वारा सिंचाई विभाग की नहर की भूमि एवं नगर पालिका की भूमि पर चबूतरा एवं बगीचा बनाकर जो अतिक्रमण किया गया था। उक्त के किये गये अतिक्रमण को दिनांक 08.12.2022 को सिंचाई विभाग एवं नगर पालिका परिषद द्वारा संयुक्त रूप से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गयी, जिसमें सिंचाई विभाग की वांयी ललितपुर नहर की सीमा के अन्तर्गत चबूतरा एवं बगीचा बनाकर अतिक्रमण किया गया था, उसको पूर्ण रूप से सिंचाई विभाग द्वारा हटवा दिया गया है ।

आख्या सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

23/12/22

सहायक अभियन्ता—प्रथम
राजघाट निर्माण खण्ड, ललितपुर

कार्यालय जिलेदार प्रथम
राजघाट निर्माण खण्ड ललितपुर

पत्रांक: 01/ राज0नि0/ जि0प्र0/ 748 दिनांक 21.12.2022

विषय: कार्यालय उपजिलाधिकारी ललितपुर पत्रांक सं0 1050/ एस0डी0 टी0एम0 जाँच (2022-23) दि0 21 नवम्बर 2022

सन्दर्भ: पत्रांक सं0 5/ स0अ0प्र0/ राज/ 342 दिनांक 4.12.2022

सहायक अभियन्ता प्रथम राजघाट निर्माण खण्ड ललितपुर

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मुहल्ला आजादपुरा वार्ड नम्बर 16 में श्री वासु लालपुत्र मोहनलाल कुशवाहा द्वारा सिंचाई विभाग नहर की भूमि एवं नगर पालिका की भूमि पर चबूतरा एवं बगीचा बनाकर जो अतिक्रमण किया गया था जो दिनांक 9.12.22 को सिंचाई विभाग एवं नगरपालिका परिषद द्वारा संयुक्त रूप से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गयी। जिसमें सिंचाई विभाग बांयी सहायक नहर की सीमा के अन्तर्गत जो चबूतरा एवं बगीचा बनाया गया था। उसको पूर्ण रूप से सिंचाई विभाग द्वारा हटवा दिया गया है।

अतः आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(हस्ताक्षर)
21/12/2022
जिलेदार प्रथम
राजघाट निर्माण खण्ड
ललितपुर

सेवा में,
जिलाधिकारी,
ललितपुर।

महोदय,

कृपया आपके द्वारा दिनांक 26.10.2022 को वाट्सप्प के माध्यम से प्रेषित एवं दूरभाष पर दिये गये निर्देश के अनुपालन में श्री अलिखेश गोस्वामी आदि शिकायतकर्ताओं द्वारा जिलाधिकारी महोदय, ललितपुर को सम्बोधित प्रार्थना पत्र की जॉच हेतु दिनांक 27.10.2022 को क्षेत्रीय लेखपाल के साथ अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्थलीय निरीक्षण एवं जॉच की गयी मौके पर श्री आलोक चतुर्वेदी, श्री कृष्ण पटैरिया व अन्य मुहल्ले के लोग एवं विपक्षी श्री बाबूलाल दुवे पुत्र श्री मोहनलाल दुवे निवासी आजादपुरा ललितपुर उपस्थित रहे। जॉच आख्या निम्नवत है :—

स्थित मुहल्ला आजादपुरा वार्ड नम्बर 16 ललितपुर नहर रोड के किनारे संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार विपक्षी श्री बाबूलाल दुवे का मकान, चबूतरा एवं बगीचा बना पाया गया। विपक्षी श्री बाबूलाल से प्रकरण के सम्बन्ध में पूछताछ की गयी, तो उनके द्वारा अवगत कराया गया कि चबूतरे का अधिकांश भाग एवं बगीचा सिंचाई विभाग की नहर की भूमि की सीमा में स्थित है चूँकि विपक्षी सिंचाई विभाग का रिटायर्ड कर्मचारी है एवं सिंचाई विभाग की अनुमति से चबूतरा एवं बगीचा बनाया गया है। विपक्षी द्वारा रजिस्ट्रर्ड वैनामा 1574/1991 की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी। जिसके द्वारा मानसिंह, दलू, व लालसिंह पुत्रगण श्री भगौने द्वारा विपक्षी श्री बाबूलाल पुत्र मोहनलाल दुवे को आराजी नम्बर 1945 मि0 रकवा 27.87 वर्ग मीटर (9.14×3.05 वर्ग मीटर) भूमि विक्रय की गयी थी। उक्त के अतिरिक्त रजिस्टर्ड बैनामा 3613 दिनांक 221295 के द्वारा महेन्द्र कुमार तनय श्री गुरुचरन पाराशर द्वारा विपक्षी श्री बाबूलाल दुवे पुत्र मोहनलाल दुवे को एक किता प्लॉट 10.50×5.50 वर्ग मीटर कुल 57.75 वर्ग मीटर विक्रय किया गया था। उक्त वैनामों के क्रम में विपक्षी द्वारा संलग्न नजरी नक्शा के अनुसार मकान निर्माण कराया गया है। विपक्षी का कहना है कि उसके द्वारा दो रजिट्री और करायी गयी है। किन्तु विपक्षी द्वारा कोई प्रति उपलब्ध नही करायी गयी।

प्रकरण के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मौके पर स्थलीय जॉच में पाया गया कि विपक्षी का बगीचा/नर्सरी सिंचाई विभाग की पटरी (33 फीट) की सीमा में है एवं चबूतरा लगभग 04 फीट सिंचाई विभाग की सीमा में है। चबूतरे के पश्चिम में नगर पालिका के सी0सी0 रोड/नाली बनी है एवं चबूतरे के पूर्व में नहर की पटरी डामर सडक बनी है, इस प्रकार (लगभग 5–6 फीट चौंडा व 8–9 फीट लम्बा) चबूतरा सार्वजनिक रास्ते में एवं सार्वजनिक जल निकासी में अवरोध उत्पन्न कर रहा है।

उपरोक्तानुसार शिकायतकर्ताओं द्वारा की गयी शिकायत सत्य पायी गयी। अतः सार्वजनिक हित में प्रश्नगत चबूतरा एवं बगीचा हटाया जाना उचित एवं आवश्यक है। तदनुसार नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु आख्या महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्नकः— यथोपरि।

(हस्ताक्षर) 11-22

महोदय-
लेखपाल की आख्या संस्तुति सहित
सादर प्रेषित
12.11.2022

संस्तुति सहित अग्रसारित
(हस्ताक्षर)

1411019

संलग्न 1 (5.9)

नजरीनक्शा

मुहल्ला - आजाद पुरा ललितपुर

जिला - ललितपुर

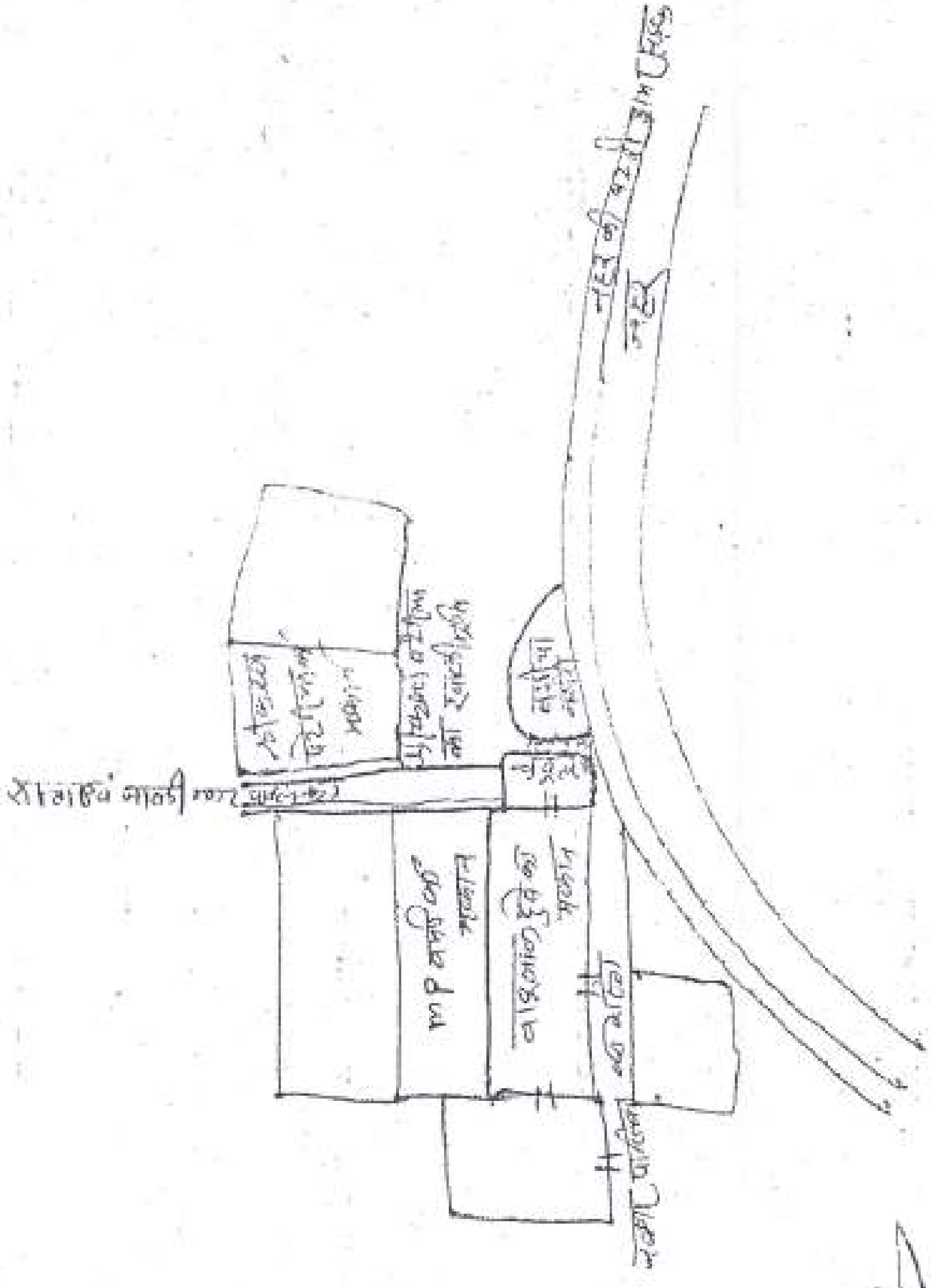

09-11-22

संलग्न 19 (5.9)

10

EXECUTIVE ENGINEER'S OFFICE,
JHANSI DIVISION, BETWA CANAL.

No. L-21/J/Lalitpur Left Canal/ 37 ,dated, Jhansi, June 28 ,1961

Subject:- PERMANENT ACQUISITION OF 71.64 ACRES OF LAND REQUIRED FOR THE CONSTRUCTION OF LALITPUR LEFT CANAL.

THE COLLECTOR, JHANSI.

Sir,

I have to send herewith the necessary papers & plans as detailed on the form of application (Annexure I) for permanent acquisition of 71.64 acres of land required for the construction of Lalitpur Left Canal. Necessary funds for the constructing the above Minor are available during the current financial year as such possession of the land is required immediately. It is, therefore, requested that provisions of section 17 of the land Acquisition act 1894 (1)of 1894) may kindly be applied to acquire the land on priority basis and to handover the possession to this department at the earliest.

Yours faithfully,

(K.N.BHANDHAN I),
EXECUTIVE ENGINEER.

No. L-21/J/Lalitpur Left Canal/ 37(1) of date.

Copy forwarded to the following for information and necessary action.

1. Superintending Engineer, IV Circle, Irrigation Works
2. Special Land Acquisition Officer, Jhansi.
3. Assistant Engineer, I.

Khattri/26.6.61.

(K.N.BHANDHAN I),
EXECUTIVE ENGINEER.

(2)

38

FORM OF APPLICATION FOR ACQUISITION OF LAND BY IRRIGATION DEPARTMENT.

1. Name of village pargana Tehsil and district whereland is situated. Villages, Lalitpur, Chandpa, Ronra, Ronra, HaBankurwa... Pargana Lalitpur Tehsil Lalitpur Distt. Jhansi

2. Further particulars regarding except location of land e.g. Khasra plot boundaries. As per shajra Plan and Nos. of Plot are enclosed.

3. Area proposed for acquisition. 7.64 Acres.

4. Object of acquisition. For Constructing Lalitpur left Canal.

5. Amount provided in the budget for the cost of acquisition. Full amount is available for payment of compensation

6. Particulars of any religious or monumental tomb graveyards etc existing on the land. None

7. Whetar acquired permanently or temporary if the latter state the approximate period of acquisition. Permanently

8. Whether possession wanted immediately if so state reasons. Possession is required immediately for constructing Lalitpur left canal.

9. Enclosures.

1. Shajra land plan and straight land plan 5
2. Section 4 English. 9
3. Section 6 English 9
4. Section 4 Hindi 5
5. Section 6 Hindi. 5
6. Calculation sheet.
7. Certificates. 5
8. List of fieldwise area. 5+5
9. Annexure I. 5
10. Annexure. II. 2

2

(signed) 16/6
(K.H. IBRAHIM)
EXECUTIVE ENGINEER
(signed) 26/6/61

NOTES:-

The collector should see that the following documents are enclosed with this application. If these have not enclosed he should atonce return the application with an order asking for them.

i) Draft notification U/S 4 specifying the name of the Dis pargana and village and the approximate area and the purposed for the land is acquired.

ii) A plan of land proposed for acquisition drawn on the 11 may in the scale of 16" to a mile and giving its dimensions.

Thattri/28.6.61.

NOTIFICATION UNDER SECTION 4(1) OF THE LAND ACQUISITION ACT, 1894

(Act I of 1894)

IRRIGATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

*****

No. 33 (4) [illegible]   Dated Lucknow: 10-8-, 1961.

In pursuance of sub-section (1) of Section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 (Act I of 1894), the Governor of Uttar Pradesh is pleased to notify for general information that the land mentioned in the Schedule is needed for a public purpose.

2. The Governor, being of opinion that the provision of sub-section (1) of Section 17 of the said Act are applicable to the land, is further pleased, under Sub-section (4) of the said Section, to direct that the provisions of Section 5-A of the Act shall not apply.

SCHEDULE NO. [illegible]

DISTRICT	PARGANA	MAUZA	APPROXIMATE AREA IN ACRES
Jhansi	Lalitpur	Lalitpur	[illegible].61
		Chandra	2.26
		Rohra	9.46
		[illegible]	1.16
		[illegible]	4.15
		Total:	71.64

Await notification under Section 6(1)

FOR WHAT PURPOSE REQUIRED: Land permanently required for constructing Lalitpur left canal.

NOTE: A plan of the land may be inspected in the office of the

(B. B. LAL) Sd/- B. B. LAL
SAHAYAK SACHIV SACHIV

No. 7631 (1) ILA, of date.

Copy forwarded to the Executive Engineer, [illegible] Division, Betwa Canal, Jhansi, for information and necessary action.

SAHAYAK SACHIV

81 [illegible]/3-8-61

संलग्नक (5.9)

5 cm

List of Plot with area required for constructing Lalitpur left canal

Village	No. of Plots	Area in Acres	Village	No. of the Plots	Area in Acres
		59			
Lalitpur	2517	0.02	Lalitpur	2030	0.02
	2500	0.37		2032	0.03
	2516	0.50		2031	0.01
	1379	0.140		2017	0.07
	2499	0.79		2018	0.04
	2418	0.80		2019	0.03
	3168	0.25		2020	0.20
	3170	0.11		2021	0.01
	2490	0.01		1935	0.09
	✓ 2488	0.22		1937	0.03
	✓ 2489	0.04		1934	0.02
	2486	0.13		1928	0.05
	✓ 2487	0.03		1977	0.03
	2485	0.02		1936	0.02
	2070	0.06		1938	0.02
	2066	0.27		1939	0.01
	2064	0.08		1940	0.05
	2065	0.03		1937	0.10
	2063	0.03		1943	0.03
	2060	0.02		1932	0.05
	2061	0.14		1958	0.03
	2059	0.30		1931	0.10
	2054	0.04		1952	0.01
	2055	0.03		1954	0.02
	2043	0.01		1957	0.05
	2046	0.01		1955	0.03
	2041	0.30		1956	0.08
	2042	0.15		1953	0.01
	2048	0.03		1960	0.03
	2035	0.16		1917	0.06
		0.635			1.21

[illegible].99

3

Village	Nos. of Plots	Area in Acres	Village	Nos. of Plots	Area in Acres
	198	0·95	Lalitpur	5400	0·35
	199	0·20		5401	0·32
	196	0·05		5402	0·35
	200	~~1·11~~ 1·11		5403	0·10
	204	0·32		5404	0·22
	4917	0·26		5410	0·44
	4916	0·38		5412	0·59
	4944	0·12		5610	0·49
	4947	0·51		5413	0·47
	[illegible]	[illegible]		[illegible]	0·09
	4949	0·79		5609	0·09
	[illegible]	[illegible]		5415	0·04
	4960	0·40		5426	0·22
	4959	0·07		5427	0·45
	4954	0·10		5429	0·6
	4955	0·51		5431	0·3
	4833	0·16		5434	0·[illegible]
	4834	0·12		5435	0·24
	5100	0·94		5436	0·59
	5107	0·32		5462	0·41
	5116	0·22		5463	0·06
	5117	0·10		5464	
	5118	0·25		5469	
	5119	0·30		5468	
	5120	0·42		5470	
	5124	0·32		5585	0·
	5123 5393	0·03 ~~0·03~~ 0·55		5586	0·15
	5394	~~0·55~~ 0·32		5587 ~~5585~~	0·
	5392	~~0·12~~ 0·44		5588	
	5399	0·05		5590	

(51)

Village	Nos. of Plots	Area in Acres	Village	Nos. of Plots	Area in Acres
	226	0·78	Ronna	846	0·25
	225	0·45		848	0·21
	106	0·38		847	0·24
	110	0·09		849	0·30
	108	0·26		513	0·31
	109	0·02		604	0·03
	124	0·11		606	0·10
	122	0·39		603	0·11
	121	0·23		602	[illegible]
	119	0·28		599	0·13
	81	0·31		601	0·01
	82	0·33		600	0·03
	83	0·30		623	0·10
	85	0·02		531	0·50
	37	0·04		532	0·05
	43	0·39		525	0·11
	38	0·02		527	0·16
	39	0·44		526	0·19
	22	0·34		515	0·64
	23	0·02		549	0·21
	13	0·12		550	0·03
	14	0·18		551	0·12
	10	0·11		513	0·12
	11	0·11		512	0·03
	7	0·28		~~549~~ 477	0·06
	6	0·19		~~578~~ 478	0·25
	Total	8·26 Acre		~~549~~ 449	0·05
				~~594~~ 479	0·04
				480	0·01
				482	0·40

संलग्नक - 5.4

STRAIGHT LINE LAND PLAN

LAND PERMANENTLY REQUIRED FOR CONSTG. LALITPUR LEFT CANAL

SCALES { H. 4" = 1 MILE
V. 1" = 80 FT.

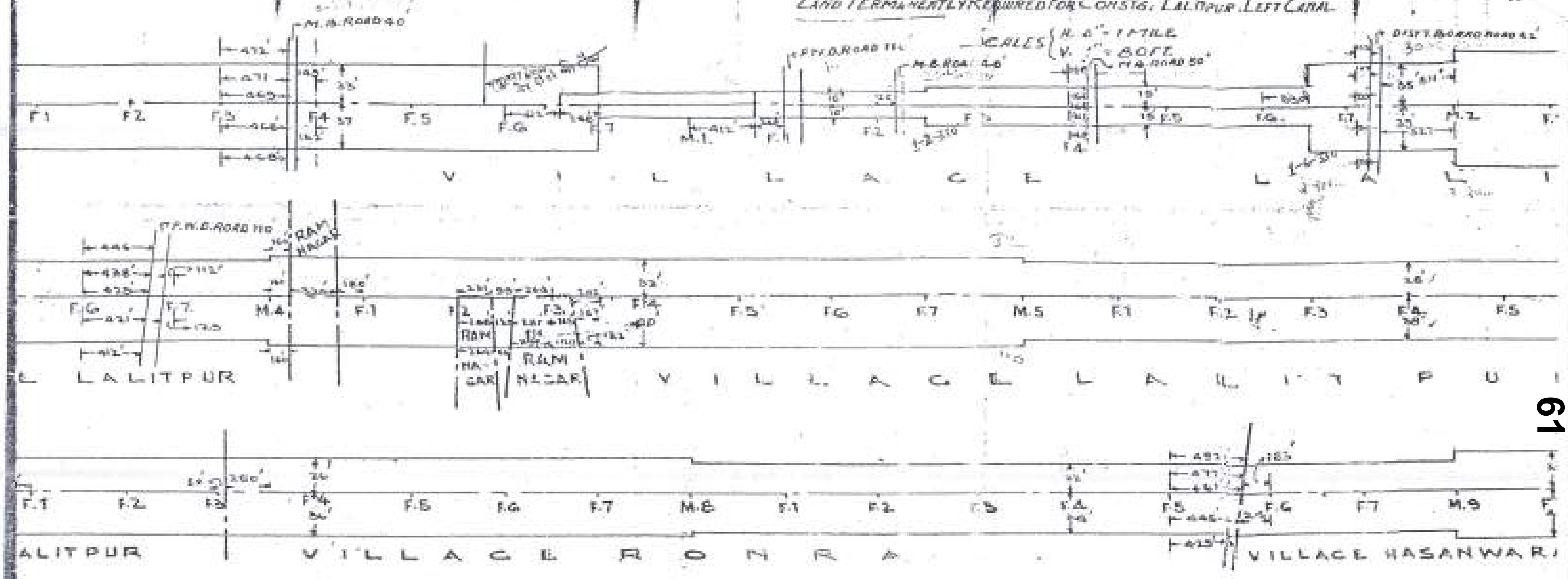

DISTRICT	PARGANA	VILLAGE	AREA IN ACRES					REMARKS
			AREA AS COMPUTED BY CANAL OFFICER				AREA AS CERTIFIED BY COLLECTOR	
			CULTIVATOR	M. BOARD	P.W.D.	DISTRICT BOARD		
JHANSI	LALITPUR	LALITPUR	48·61	0·67	0·21	0·25		
"	"	CHANORO	8·26		0·18			
"	"	RONRA	9·46					
"	"	RAMNAGAR	1·16					
"	"	HASANWARA	4·15					
		TOTAL	71·64	0·67	0·39	0·25		

REFERENCE

LAND TO BE ACQUIRED

LAND ALREADY IN GOVT. POSSESSION

(Signature) 26-6-61

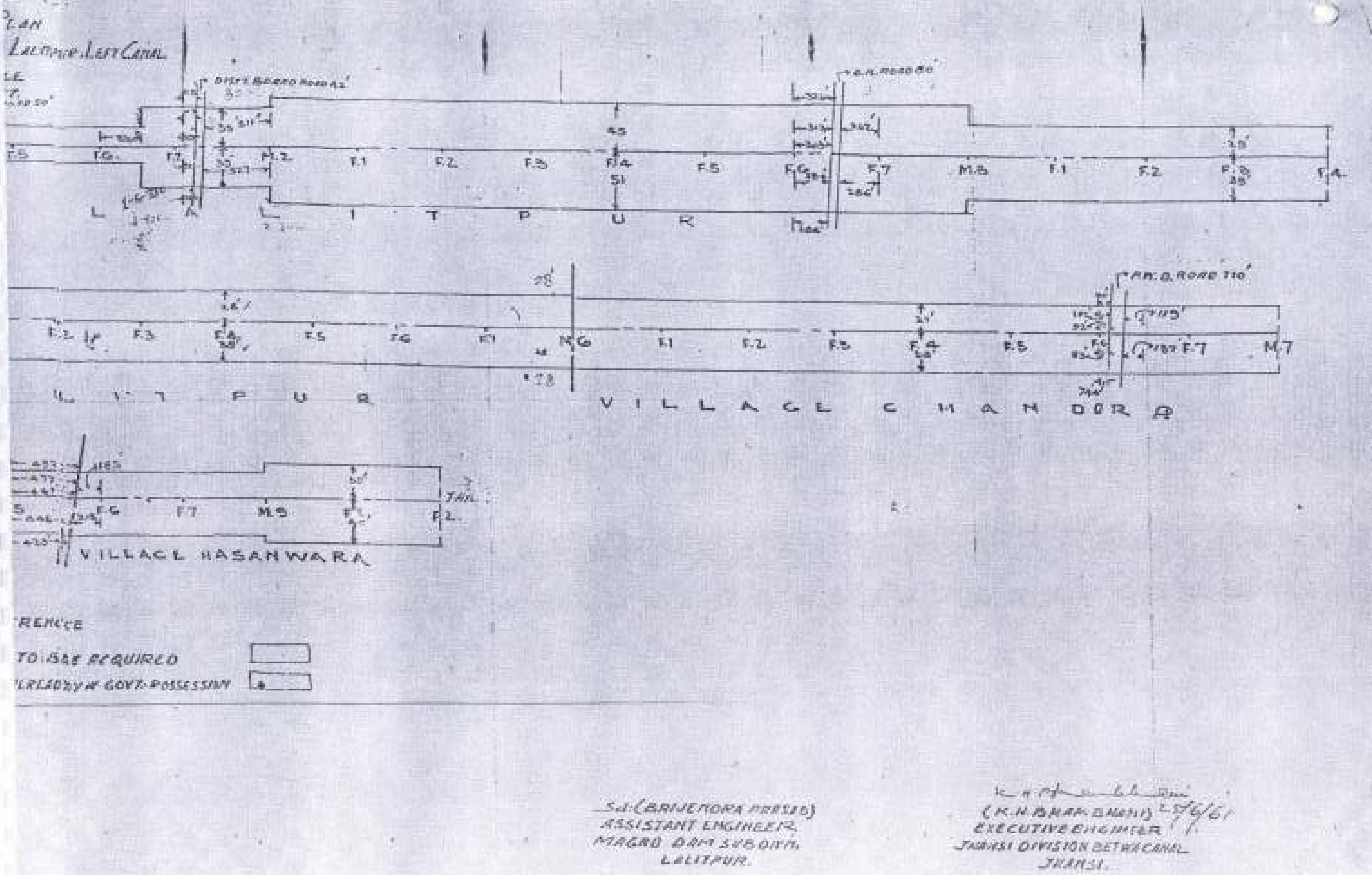
LALITPUR LEFT CANAL
DISTT. BOARD ROAD
R.D. ROAD
ARM. D. ROAD
L I T P U R
VILLAGE CHANDORA
VILLAGE HASANWARA
TAIL
REFERENCE
TO BE REQUIRED
ALREADY IN GOVT. POSSESSION
Sd. (BRIJENDRA PRASAD)
ASSISTANT ENGINEER
MAGRO DAM SUB DIVN.
LALITPUR.
(K.H. BHARADWAJ) 25/6/61
EXECUTIVE ENGINEER
JHANSI DIVISION BETWA CANAL
JHANSI.

संलग्नक - (6)

श्रीमानजी,

मुहल्ला आजादपुरा में सिंचाई विभाग की बायी मुख्य नहर ललितपुर पर बारेलाल तनय मोहनलाल दुबे निवासी आजादपुरा ने पोधे रख कर एवं चबूतरा बनाकर अतिक्रमण कर रखा था। जिसकी शिकायत हम सभी मुहल्ले वासियों द्वारा उच्च अधिकारियों से की गयी थी। जांच उपरान्त अतिक्रमण सिंचाई विभाग की भूमि पर पाया गया था। उच्च अधिकारियों के आदेश पर सिंचाई विभाग एवं नगर पालिका की संयुक्त टीम द्वारा उक्त अतिक्रमण को हटवा दिया गया है।

सत्यनारायण शुक्ल
9839480496

विपिन कुमार
8400007688

जीतकृष्ण पटैरिया
7905020313

आलोक चतुर्वेदी
9873390350

अखिलेश गोस्वामी
7355665658

मुरखेद

विनोद कुमार
9198835883

जगत निरंजन
9118474347

आशीष मिश्रा
8858744426

अखिलेश शांडिल्य

अरविन्द राजपूत
7090586468

Item No. 01 Court No. 2

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 917/2022

Babulal Dubey Applicant

Versus

Hariom Chak & Ors. Respondent(s)

Date of hearing: 02.01.2023

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE SUDHIR AGARWAL, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE PROF. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER

ORDER

1. This original application has been filed and registered under Section 14 and 15 of National Green Tribunal Act, 2010 (hereinafter referred to as 'NGT Act, 2010') by Shri Babulal Dubey s/o Shri Mohanlal Dubey, House No. 484, Nahar Road, Azadpura, Lalitpur who has complained that at Araji No. 1933 in Azadpura Nahar Road, Lalitpur, there is a vacant land on which certain number of trees of various categories were existing and the same have been illegal cut by the officials of Irrigation Department on 08.12.2022. He has given the names of the officials as Shri Hari Om Chak, Assistant Engineer, Shri Surendra Kumar, Junior Engineer, Shri Shailendra, Irrigation Supervisor and Mr. Raghuveer Singh, Sinchpal. They have caused damage of about 300 trees of mangoes etc.

2. In our view before taking any further action in the matter, let a factual report be obtained from the concerned authorities for which

purpose we constitute a Committee comprising of District Forest Officer, Lalitpur, District Magistrate, Lalitpur and State PCB. The Committee may visit the site and submit a factual report within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF. District Magistrate, Lalitpur will be the nodal agency for coordination and compliance.

List for further consideration on 10.03.2023.

A copy of this order be forwarded to District Forest Officer, Lalitpur, District Magistrate, Lalitpur and State PCB by e-mail for compliance.

The applicant may serve a set of papers on District Forest Officer, Lalitpur, District Magistrate, Lalitpur and State PCB and file affidavit of service within one week.

Sudhir Agarwal, JM

Prof. A. Senthil Vel, EM

January 02, 2023
Original Application No. 917/2022
SN

संलग्नक -(7)

नोटिस (सूचना-पत्र)

दिनांक 02/12/2022

पत्रांक डेमोह-3/रा0अ0/रा0अ0/ला0/

श्री कालूलाल दुबे

पुत्र श्री मोहनलाल दुबे

निवासी मुहल्ला आजादपुरा, नहर रोड, ललितपुर

जिला-ललितपुर (उ0प्र0)

आपको सूचित किया जाता है कि आपने मौजा/कस्बा कांशी मुख्य नहर ललितपुर पर विगत वर्षों में सिंचाई विभाग की भूमि पर आराजी संख्या 1333 में अवैध रूप से अपना रोड, पौधों को पौध रखकर एवं कब्जा बनाकर ~~मकान/टपरा/बाउण्ड्रीवाल/चौपाल बनाकर~~ लम्बाई 18 चौड़ाई 10 वर्गमीटर फुट पर बिना किसी अधिकार की नियत से अवैध अधिकार/अतिक्रमण किया है, इस सम्बन्ध में आपको अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किया जाता है।

यह भूमि सिंचाई विभाग की है, जिसे आपने अवरूद्ध कर राज्य सरकार को क्षति पहुँचाई है। आपसे राजकीय कर्मचारियों द्वारा अनेकों बार उक्त अनाधिकृत कब्जा एवं उपयोग हटाने के लिए कहा गया परन्तु आपने कोई ध्यान नहीं दिया और उनसे दुर्व्यवहार करते रहे।

अतः इस सचूना पत्र के द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आप इस सूचना पत्र पाने के 3 दिवस के अन्दर इस अवैध अतिक्रमण को हटा दें/गिरा दें एवं आराजी को खाली कर दें। अन्यथा विभाग द्वारा हटाने/गिराने पर धनराशि आपसे वसूली जायेगी एवं आपके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(हस्ताक्षर)

सहायक अभियन्ता प्रथम
राजघाट निर्माण खण्ड, ललितपुर।

नोटिस लेने से मना किया।

रघुवीर सिंह सीचपाल
2/12/2022